IF UNDELIVERED
PLEASE RETURN TO
मारवाड़ का मित्र
:: Regd. Office ::
वैष्णव फार्म परावा,
जिला - सांचौर (343041)

हिन्दी पाक्षिक समाचार पत्र

मारवाड़ का मित्र

RNI Reg No. RAJHIN/2003/10136 Post Reg No. RJ/SRO/9657/2023-25

www.marwadkamitra.in twitter.com/MARWADKAMITRA facebook.com/marwarkamitra/ youtube.com/c/mkmnewsnetwork

वर्ष 22 | अंक 8 | सांचौर, सोमवार, 15 अप्रैल 2024 | संस्थापक : स्व. श्री भगवानदास वैष्णव, | मूल्य वार्षिक 350 रुपये | कुल पृष्ठ - 4

छोड़ो अपने सारे काम
सबसे पहले करों मतदान
19 एवं 26 अप्रैल को
मतदान अवश्य करें।
मतदान समय : प्रातः 7:00
बजे से सायं 6:00 बजे तक

प्रथम चरण के लोकसभा क्षेत्रों में मतदाता पर्चियां बांटी

जयपुर, । लोकसभा आम चुनाव-2024 में शत-प्रतिशत मतदान के लिए निर्वाचन विभाग ने प्रथम चरण में मतदान वाले 12 लोकसभा क्षेत्रों के सभी मतदान केन्द्रों पर मतदाता पर्ची एवं मार्गदर्शिका का वितरण जारी है। रविवार को शुरू हुए अभियान के तहत शुक्रवार दोपहर तक 1.96 करोड़ मतदाता पर्चियां बांटी गई, जो प्रथम चरण के लिए पर्ची वितरण के लक्ष्य 2.52 करोड़ मतदाताओं का 79.066 प्रतिशत है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री प्रवीण गुप्ता ने बताया कि प्रदेश में आओ बूथ चलें अभियान के तहत राजस्थान के 5.32 करोड़ मतदाताओं में से प्रत्येक तक व्यक्तिगत रूप से पहुंचकर वोटर स्लिप और गाइड देकर मतदान के लिए मनुहार की जा रही है।

हीटवेव को लेकर चिकित्सा विभाग अलर्ट मोड पर

जयपुर, । भारत सरकार की ओर से इस वर्ष गर्मी एवं लू का प्रभाव अत्यधिक रहने का अलर्ट जारी होने के बाद चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश में आमजन को गर्मी एवं लू जनित बीमारियों से बचाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्रीमती शुभ्रा सिंह ने इस संबंध में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में चिकित्सा विभाग को अलर्ट मोड पर रहने एवं सभी तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

जीरे के भाव गिरने से किसानों में मायूसी

मेड़ता . जीरे के गिरते भावों को लेकर इस वर्ष किसानों में मायूसी है। प्रदेश की कृषि उपज मंडी मेड़ता में एक ही दिन में जीरा 1500 रुपए प्रति क्विंटल तक लुढ़क गया। मंडी में सुपर ए क्वालिटी का जीरा भी महज 24 से 25 हजार रुपए प्रति क्विंटल के करीब बिका है। पिछले डेढ़ महीने से जीरे के भावों में उतार-चढ़ाव का दौर जारी है। भावों में उतार ज्यादा आया है। दो महीने पहले 30 हजार रुपए प्रति क्विंटल से ऊपर बिक रहा जीरा अब 20 से 25 हजार रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया है

उपज को समेटने में जुटे किसान

चितलवाना । राज्य में नित नए पश्चिमी विक्षोभ तंत्र के सक्रिय होने के साथ ही किसानों ने अपनी मेहनत व उम्मीदों की उपज को समेटने में लग गए हैं। इन दिनों आसमान में छाने वाले बादल किसानों के दिल की धड़कन बढ़ाने लगे हैं। चितलवाना के किसान ने बताया की फसलों के पकने के बाद खेत खलिहान में एकत्रित कर थ्रेसर से लाटा निकाल कर फसलों को बोरियों में भर कर घर ला रहे हैं।

मारवाड़ का मित्र
हिन्दी पाक्षिक समाचार पत्र

यदि आपको अपने क्षेत्र से लगाव है तो कृपया मारवाड़ का मित्र हिन्दी पाक्षिक समाचार पत्र के लिए मारवाड़ आंचल के विभिन्न धार्मिक, ऐतिहासिक कला,संस्कृति आदि अन्य सामाजिक,शैक्षणिक, व्यवसायिक स्थलों पर लेख,कथा, कहानी विवरण आदि हमें अवश्य प्रकाशनार्थ भिजवाने । प्रकाशन सामग्री के साथ संबंधित स्थल का फोटो भी एवं आपका फोटो भी अवश्य भिजवाएं ।

-संपादक

सहकारी समितियों की अटकी 2 प्रतिशत ब्याज अनुदान की राशि

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर । प्रदेश में केंद्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से 7600 से ज्यादा ग्राम सेवा सहकारी समितियां द्वारा 20 हजार करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण वितरित किया जाता है। इस ब्याज मुक्त फसली सहकारी ऋण योजना से प्रदेश के लाखों किसानों को आर्थिक लाभ मिल रहा है, लेकिन किसानों को ब्याज मुक्त योजना से लाभांवित करने वाली ग्राम सेवा सहकारी समितियों को गत सितंबर 2023 से फरवरी 2024 तक ऋण वितरण की एवज में मिलने वाले 2 प्रतिशत ब्याज अनुदान की राशि राजस्थान राज्य सहकारी बैंक और वित्त विभाग के बीच अटक कर रह गई है।

राज्य के सहकारी साख आंदोलन से जुड़े सुत्रो ने राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव सुधांश पंत को इस संबंध में पत्र लिखा है, जिसमें कहा कि प्रदेश की 7600 से ज्यादा ग्राम सेवा सहकारी समितियों का पिछले सात माह से ब्याज अनुदान पेंड़िग है। वही, इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति भी कब की जारी कर दी गई है। परन्तु राशि का आंवटन नहीं होने के चलते सुत्रो ने मुख्य सचिव को इस मामले पर संज्ञान लेकर राशि आंवटन करवाने की मांग पत्र के माध्यम से उठाई है। गौरतलब हैं कि केंद्रीय सहकारी बैंक और ऋण वितरण पर निर्भर सहकारी समितियां लंबे समय से ब्याज अनुदान की राशि का इंतजार कर रही है। इस कारण प्रदेश की 7600 ग्राम सेवा सहकारी समितियां यानी पैक्स और लैम्पस के कार्मिकों को पिछले एक वर्ष से वेतन का भुगतान नहीं हुआ है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश की 7600 सहकारी समितियां की अनुदान राशि एक सितंबर 2023 से 29 फरवरी 2024 तक का क्लेम आज तक नहीं मिला है।

अधिकांश समितियां दो प्रति. अनुदान पर निर्भर

प्रदेश की 75 फीसदी से अधिक ग्राम सेवा सहकारी समितियां इसी 2 प्रतिशत अनुदान राशि पर निर्भर हैं,जिससे समिति कार्मिकों के वेतन-भठो व सोसाइटी के खर्च निकलते हैं। अधिकांश समितियां केवल अल्पकालीन फसली ऋण पर ही निर्भर हैं और विभिन्न कारणों से वे कोई कारोबार नहीं करती जो प्राथमिक कृषि ऋण समितियां कृषि आदान,उर्वरक, भण्डारण, पशु आहार, कृषि यंत्रीकरण, सुपर बाजार, गौण मंडी, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषि जिंसों की खरीद, मध्यकालीन ऋण वितरण सहित अन्य व्यावसायिक गतिविधियां का कार्य करती हैं। उनके यहां वेतन-भठों को लेकर किसी प्रकार की समस्या नहीं है, परन्तु बहुत सी समितियां केवल ऋण वितरण की एवज में मिलने वाले अनुदान पर ही निर्भर हैं। उन समितियों में अनुदान राशि नहीं मिलने से समितियों के कार्मिकों की हालत खस्ता बनी हुई है

प्रदेश में ग्राम सेवा सहकारी समितियों को पिछले एक साल से दो प्रतिशत ब्याज अनुदान की राशि आंवटित नहीं की गई है। जिसके चलते सहकारी समितियों में कार्यरत कामिकों को वेतन व भत्तों का भुगतान नहीं हो पा रहा हैं। यदि जल्द ही अनुदान की राशि का भुगतान नहीं किया गया तो, खरीफ सीजन में ऋण वितरण का कार्य ठप कर प्रदेश व्यापी आंदोलन किया जाएगा ।

***-नंदलाल वैष्णव,** प्रांतीय अध्यक्ष, राजस्थान सहकारी कर्मचारी संघ जयपुर*

सूचना देने में भी आनाकानी

जब इस संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत वित्त विभाग से सूचना मांगी गई तो, वित्त विभाग ने सहकारिता विभाग को और सहकारिता विभाग ने रस्म आदयगी के तौर पर रजिस्ट्रार कार्यालय को तो, रजिस्ट्रार कार्यालय ने अपेक्स बैंक को आवेदन भेज दिया । जबकि अपेक्स बैंक ने बजट घोषणा के तहत वित्त विभाग से राशि आंवटन को लेकर बार-बार गुहार लगाई है।

रबी व खरीफ सीजन का अल्पकालीन ऋण चुकाया

राज्य के 29 केंद्रीय सहकारी बैंक और करीब 7600 ग्राम सेवा सहकारी समितियां यानी पैक्स और लैम्पस की ओर से किसानों को रबी और खरीफ सीजन के लिए अल्पकालीन फसली ऋण उपलब्ध करवा रही है। दोनों सीजन में इसकी वसूली की जा चुकी है। इसके लिए समितियों को मानव श्रम सहित कई संसाधन झोंकने पड़ते है। अल्पकालीन फसली ऋण वितरण की एवज में राज्य सरकार की ओर से 4 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाता है। यह ब्याज अनुदान राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड के माध्यम से केंद्रीय सहकारी बैंकों को मिलता है। इसमें से आधी राशि 2 प्रतिशत ब्याज अनुदान सहकारी समितियों को मिलता है।

लोकसभा आम चुनाव-2024

दूसरे चरण के 13 लोकसभा क्षेत्रों में 152 प्रत्याशी चुनाव मैदान में

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर, । लोकसभा आम चुनाव-2024 के दूसरे चरण के 13 लोकसभा क्षेत्रों में नाम वापसी की अवधि समाप्त हो जाने के बाद अब 152 प्रत्याशी मुकाबले में रह गए हैं। नामांकन वापसी के अंतिम दिन 10 लोकसभा क्षेत्रों के कुल 31 अभ्यर्थियों ने अपने नामांकन पत्र वापस लिए हैं। इन 13 क्षेत्रों में 5 अप्रैल तक 191 अभ्यर्थियों ने नामांकन किए थे, जिसमें से 8 अभ्यर्थियों ने शनिवार को ही नाम वापस ले लिए थे। मुख्य चुनाव अधिकारी श्री प्रवीण गुप्ता ने बताया कि सोमवार को जालोर लोकसभा क्षेत्र से सर्वाधिक 10 प्रत्याशियों ने अपने नाम वापस लिए। इसके अतिरिक्त, बाड़मेर से 6, अजमेर, पाली और कोटा लोकसभा क्षेत्रों से 3-3, भीलवाड़ा से 2 तथा टोंक-सवाई माधोपुर, जोधपुर, चित्तौड़गढ़ और राजसमन्द लोकसभा क्षेत्रों से 1-1 प्रत्याशी ने नामांकन पत्र वापस लिए। श्री गुप्ता ने बताया कि प्रथम चरण के 12 लोकसभा क्षेत्रों में 114 प्रत्याशी चुनाव में भागीदारी कर रहे हैं। इस प्रकार, राजस्थान के सभी 25 लोकसभा क्षेत्रों में कुल 266 प्रत्याशी मुकाबले में हैं। प्रथम चरण के लिए मतदान 19 अप्रैल और दूसरे चरण के लिए 26 अप्रैल को होगा। मतगणना 4 जून को होगी। मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया कि दूसरे चरण में चित्तौड़गढ़ लोकसभा क्षेत्र से सर्वाधिक 18 प्रत्याशी और झालावाड़-बारां लोकसभा क्षेत्र से सबसे कम 7 प्रत्याशी चुनाव में हैं।

जसाई ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड जसाई
तहसील - बाड़मेर, जिला - बाड़मेर

क्रमांक - एस.पी.01 -:: विज्ञप्ति ::- दिनांक - 14.04.2024

जसाई ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. जसाई के सदस्यों की अधिकतम साख सीमा (MCL) पांच वर्ष की स्वीकृत की गई थी, शीर्ष बैंक से प्रदत्त निर्देशानुसार जिन कृषकों की MCL अप्रैल 2019 से मार्च 2020 के मध्य स्वीकृत की गई हैं, उनका नवीनीकरण 15 अप्रैल से 30 जून 2024 तक किया जा रहा हैं । इसके लिए साख सीमा नवीनीकरण का आवेदन पत्र समिति से प्राप्त कर उसमें KYC संबंधित दस्तावेज यथा जमाबंदी, आधार कार्ड, मोबाइल नम्बर, परिचय पत्र, पेन कार्ड, बैंक खाता पासबुक की फोटोकॉपी इत्यादि संलग्न करके समिति पर जमा करवाएं, वही, इस विज्ञप्ति के जरिए अवधिपार ऋणी सदस्यों को अंतिम रुप से सूचित किया जाता हैं कि अपने ऋण खाते में बकाया अवधिपार ऋण राशि जमा करवाकर साख सीमा नवीनीकरण में अपना नाम इन्द्राज करा लेवें। अन्यथा अवधिपार राशि का भुगतान नहीं करने पर आपके विरुद्ध राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 99-100 में कार्यवाही की जाएगी, जिसके लिए समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी । सूचित रहें ।

खेतसिंह
अध्यक्ष जसाई जीएसएस

हरीराम सोलंकी
व्यवस्थापक जसाई जीएसएस

इस वर्ष मानसून में हो सकती हैं अच्छी वर्षा

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

बड़ पैमाने पर हो रही जलवायु संबंधी घटनाएं मानसून के लिए अनुकुल, कम होती दिख रही अल नीनो की स्थिती, कम बर्फबारी भी सकारात्मक

नई दिल्ली । इस वर्ष मानसून सामान्य रहेगा। इसलिए मानसून में वर्षा अच्छी होगी। यह किसानों के लिए अच्छी खबर हो सकती है लेकिन बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में वर्षा कम होने की संभावना है। स्काईमेट ने मानसून का यह पूर्वानुमान जारी किया, जिसमें कहा गया है कि इस बार जून से सितंबर के बीच चार माह मानसून के दौरान सामान्य से 102 प्रतिशत वर्षा होने की संभावना है। स्काईमेट के प्रबंध निदेशक जतिन सिंह ने बताया कि अल नीनो कमजोर हो रहा है और ला नीना मजबूत हो रहा है। इसलिए इस वर्ष मानसून सामान्य रहने और दो प्रतिशत अधिक वर्षा होने की संभावना है। दक्षिण, पश्चिम और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में अच्छी वर्षा होगी। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के प्रमुख मानसून वर्षा आधारित क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा होने की संभावना है। जुलाई व अगस्त में जिस वक्त मानसून चरम पर होता है उस दौरान बिहार, झारखंड, ओडिशा व पश्चिम बंगाल में वर्षा कम होने की संभावना है। उत्तर पूर्वी राज्यों में मानसून के शुरुआती आधे सीजन में मानसून कमजोर रहने की संभावना है। स्काईमेट के विशेषज्ञ महेश पलावत ने बताया कि ला नीना मजबूत होने से पूर्वी प्रशांत महासागर क्षेत्र में तापमान कम और पश्चिमी प्रशांत महासागर क्षेत्र में तापमान अधिक होता है। ऐसी स्थिति में भारत में मानसून में अच्छी वर्षा होती है। इसलिए इस वर्ष मानसून सामान्य रहने का पूर्वानुमान लगाया गया है। पिछले वर्ष अल नीनो के कारण वर्षा सामान्य से छह प्रतिशत कम हुई थी। मानसून के दौरान चार महीने में देश में 868.6 मिलीमीटर वर्षा होती है। इस वर्ष 886 मिलीमीटर वर्षा होने की संभावना है। जून के महीने में सामान्य से पांच प्रतिशत कम 95 प्रतिशत वर्षा होने का अनुमान है। जुलाई में सामान्य से 105 प्रतिशत, अगस्त में 98 प्रतिशत और सितंबर में 110 प्रतिशत वर्षा होने की संभावना है।

विभाग के अधिकारियों ने विभिन्न स्थानों का औचक निरीक्षण कर पेयजल आपूर्ति का लिया जायजा

जालोर । ग्रीष्म ऋतु को देखते हुए जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग द्वारा की गई पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था के तहत विभाग के अधीक्षण अभियंता आर.सी.मीना, अधिशासी अभियंता जितेन्द्र त्रिवेदी व सहायक अभियंता (शहर) राकेश सैनी ने गुरूवार को जालोर शहर के विभिन्न स्थानों का औचक निरीक्षण कर पेयजल आपूर्ति का जायजा लिया तथा उपभोक्ताओं को पेयजल महत्वता के बारे में जानकारी दी।जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों द्वारा गुरूवार को जालोर शहर के गांधी चौक, सरदार पटेल मार्ग, किले की घाटी, कांकरिया वास, खानपुरा वास सहित विभिन्न स्थानों पर पेयजल आपूर्ति का औचक निरीक्षण किया जिसमें पानी का प्रेशर 0.5 किग्रा/वर्ग सेमी से 0.3 कि.ग्राम/ वर्ग सेमी के मध्य पाया गया और क्लोरीन 1 पीपीएम से 4 पीपीएम के बीच पाई गई। निरीक्षण के दौरान जालोर शहर के पेयजल उपभोक्ताओं द्वारा पानी का दुरूपयोग करने, अवैध जल कनेक्शन होने के साथ ही जल कनेक्शनों पर नल नहीं लगे होने तथा पानी की सप्लाई में उपयोग होने के बाद भी नालियों में व्यर्थ पानी बहाने वाले लोगों के विरूद्ध प्रथम एवं अंतिम नोटिस जारी कर कानूनी कार्यवाही किये जाने के लिए निरीक्षण टीम द्वारा विभागीय अधिकारियों व संबंधित कनिष्ठ अभियंताओं को निर्देश दिए गए।

लोकसभा आम चुनाव कार्य में नियुक्त कार्मिकों के मानदेय में वृद्धि

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर, । मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री प्रवीण गुप्ता ने बताया कि लोकसभा आम चुनाव के तहत मतदान और मतगणना सहित अन्य कार्य में नियुक्त कार्मिकों के मानदेय में वृद्धि की गई है। श्री गुप्ता ने बताया कि मतदान के दिन बूथ पर नियुक्त माइक्रो ऑब्जर्वर को अब प्रथम दो दिवस के लिए 1,000 रुपये तथा दो दिवस से अधिक ड्यूटी पर 500 रुपये प्रतिदिवस (अधिकत्तम 3,000 रुपये) पारिश्रमिक दिया जाएगा। पूर्व में माइक्रो ऑब्जर्वर को पारिश्रमिक के रुप में एकमुश्त 1,000 रुपये दिए जाते थे। उन्होंने बताया कि होम वोटिंग के कारण कई माइक्रो ऑब्जर्वर की चुनाव ड्यूटी दो दिवस से अधिक होती है। अब इस वृद्धि से उन्हें लाभ मिल सकेगा।

सावधिर ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड सावधिर
तहसील - जसवंतपुरा, जिला - जालोर

क्रमांक - एस.पी.01 -:: विज्ञप्ति ::- दिनांक - 14.04.2024

सावधिर ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. सावधिर के सदस्यों की अधिकत्तम साख सीमा (MCL) पांच वर्ष की स्वीकृत की गई थी, शीर्ष बैंक से प्रदत्त निर्देशानुसार जिन कृषकों की MCL अप्रैल 2019 से मार्च 2020 के मध्य स्वीकृत की गई हैं, उनका नवीनीकरण 15 अप्रैल से 30 जून 2024 तक किया जा रहा हैं । इसके लिए साख सीमा नवीनीकरण का आवेदन पत्र समिति से प्राप्त कर उसमें KYC संबंधित दस्तावेज यथा जमाबंदी, आधार कार्ड, मोबाइल नम्बर, परिचय पत्र, पेन कार्ड, बैंक खाता पासबुक की फोटोकॉपी इत्यादि संलग्न करके समिति पर जमा करवाएं, वही, इस विज्ञप्ति के जरिए अवधिपार ऋणी सदस्यों को अंतिम रुप से सूचित किया जाता हैं कि अपने ऋण खाते में बकाया अवधिपार ऋण राशि जमा करवाकर साख सीमा नवीनीकरण में अपना नाम इन्द्राज करा लेवें। अन्यथा अवधिपार राशि का भुगतान नहीं करने पर आपके विरुद्ध राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 99-100 में कार्यवाही की जाएगी, जिसके लिए समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी । सूचित रहें ।

भंवरसिंह
अध्यक्ष सावधिर जीएसएस

नीतिराजसिंह भाटी
व्यवस्थापक सावधिर जीएसएस

खरीफ फसली सहकारी ऋण अदायगी की अवधि बढ़ी

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर । गत साल खरीफ सीजन में केन्द्रीय सहकारी बैंक के माध्यम से ग्राम सेवा सहकारी समितियों द्वारा किसानों को वितरित अल्पकालीन फसली सहकारी ऋण का चुकारा करने की अवधी बढ़ा दी गई है। सहकारिता विभाग संयुक्त शासन सचिव दिनेश कुमार जांगीड ने इस संबंध में पंजीयक सहकारी समितियां जयपुर एवं शीर्ष बैंक के प्रबंध निदेशक को पत्र जारी कर कहा कि खरीफ, 2023 में वितरित अल्पकालीन फसली ऋणों की अदायगी की अवधि वित्त विभाग से प्रदत्त सशर्त सहमति के आधार पर 31 मार्च 2024 को तीन माह बढ़ाकर 30 जून 2024 अथवा ऋण लेने की तारीख से 12 माह, जो भी पहले हो, किए जाने की स्वीकृति दी गई है। साथ ही, सहकारिता विभाग की ओर से जारी पत्रानुसार, 31 मार्च 2024 तक के ब्याज अनुदान राशि का समायोजन वर्ष 2023-24 में प्रावधित राशि के विरूद्ध करने के साथ-साथ विस्तारित अवधि 1 अप्रैल, 2024 से 30 जून, 2024 तक के ब्याज अनुदान की राशि का समायोजन वर्ष 2024-25 में प्रावधित बजट प्रावधान के विरुद्ध किया जाएं।

नाबार्ड के दिशा-निर्देशों और आचार संहिता की हो पालना

सहकारिता विभाग की ओर से जारी पत्र के मुताबिक, विभाग अल्पकालीन फसली ऋण के लिए नाबार्ड की ओर से जारी दिशा-निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करेगा ताकि नाबार्ड द्वारा पुनर्वित्त प्राप्त किए जाने पर किसी प्रकार का विपरित प्रभाव या कठिनाई नहीं हो। वहीं, आगामी लोकसभा आम चुनाव, 2024 के मध्यनजर आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के चलते विभाग की ओर से आदर्श आचार संहिता की पूर्ण पालना सुनिश्चित किये जाने की बात पत्र में कही गई है।

सस्ते में रायड़ा बेचने को विवश

जोधपुर मथानिया कृषि उपज मंडी में समर्थन मूल्य पर रायड़ा की खरीद परिवहन की टेंडर प्रक्रिया में अटकी पड़ी है, जिसका खामियाजा रायड़ा बेचने वाले किसान 12 दिनों से भुगत रहे हैं। सहकारिता विभाग उप रजिस्ट्रार का एक आदेश का इंतजार किसानों के लिए एक-एक दिन भारी पड़ रहा है। सहकारिता विभाग एवं राजफेड अधिकारियों की ढुलमुल नीति के चलते रायड़ा परिवहन की टेंडर प्रक्रिया समय पर पूरी नहीं हुई। दो बार टेंडर होने के बावजूद भी कोई ठेकेदार नहीं मिला।

राजपूत समाज ने जताया विरोध सौंपा ज्ञापन, कार्रवाई की मांग

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

सांचौर. राजपूत सभा संस्था सांचौर के पदाधिकारियों ने जिला कलक्टर सांचौर को ज्ञापन सौंपकर शोले मूवी का विवादित पोस्टर लगाकर समाज विशेष पर टिप्पणी करने पर

जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते राजपूत समाज के लोग

विरोध जताया। ज्ञापन में बताया कि सिरोही के शिवगंज ईओ ने मतदान की अपील में शोले फ़िल्म ठाकुर के दोनों हाथ कटे फोटो डालकर समाज विशेष की भावनाओं को आहत किया है।

वहीं ज्ञापन में राजपूत समाज पर पुरुषोत्तम रुपाला की टिप्पणी पर भी विरोध जताया। ज्ञापन में बताया कि राजपूतों ने देश बाहरी आक्रांताओं से लोहा लिया, देश की रक्षा के लिए क्षत्रिय वीर व क्षत्रियानिया ने शाका, जौहर किया। दूसरी तरफ पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा टिप्पणी से भावनाएं आहत हुई हैं। राजपूत समाज ने भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी ज्ञापन मेल कर कार्रवाई की मांग की। इस दौरान राव मोहनसिंह चितलवाना, चंदन सिंह जोग सिंह विरोल, हिंदूसिंह दूठवा, मग सिंह पूर्ण सिंह परावा, महावीर सिंह दातिया, रेवंत सिंह डबाल, भवरसिंह चारणीम, कल्याण सिंह बावरला, भगवान सिंह, गजे सिंह कारोला, शैल सिंह जानवी, प्रेमसिंह अचलपुर, लादू सिंह हीर सिंह, नेपाल सिंह किलवां समेत अन्य मौजूद रहे।

फसली सहकारी ऋण लेने वाले किसानों की 30 जून तक नवीनीकृत होगी साख सीमा

- 1 जुलाई 2024 के बाद एमसीएल नवीनीकृत करवाने वाले किसानों को ही वितरित होगा अग्रिम ऋण
- 30 लाख से ज्यादा काश्तकारों की साख सीमा का किया जाएगा नवीनीकरण
- तीन माह की अवधि में पूर्ण होगा साख सीमा नवीनीकरण का कार्य
- एमसीएल नवीनीकरण के दौरान ऋण वितरण और ऋण वसूली कार्य नहीं होंगे बाधित

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर । राज्यभर की ग्राम सेवा सहकारी समितियों से फसली ऋण लेने वाले 30 लाख से ज्यादा काश्तकारों को अब अपनी साख सीमा का नवीनीकरण करवाना होगा । इसके लिए दी राजस्थान स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक ने आदेश जारी कर दिया है। जिसके मुताबिक, राज्य में केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा 11 जुलाई 2019 से ऑन लाइन पद्धति के माध्यम से फसली ऋण वितरण करना शुरु किया गया था, वही, नाबार्ड की किसान क्रेडिट कार्ड योजना के प्रावधान की तर्ज पर कृषक की अधिकतम साख सीमा पाँच वर्ष के लिए स्वीकृत की जाती है। इसलिए वर्ष 2019-20 में स्वीकृत अधिकतम साख सीमा के पांच वर्ष पूर्ण होने के चलते किसानों को अपनी साख सीमा का नवीनीकरण करवाना होगा । जिन किसानों की साख सीमा 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 के मध्य स्वीकृत की गई हो, उन किसानों को 1 अप्रैल 2024 से 30 जून 2024 की अवधि के बीच में साख सीमा का नवीनीकरण कराना होगा । साथ ही, अवधिपार किसानों को अपनी नई साख सीमा स्वीकृत कराने के लिए समस्त अवधिपार राशि का भुगतान करना होगा, जिसके पश्चात ही साख सीमा का नवीनीकरण किया जाएगा । साथ ही, अपेक्स बैंक की ओर सीसीबी के प्रबंध निदेशकों निर्देशित किया गया हैं कि इस प्रक्रिया के दौरान किसानों को ऋण वितरण अथवा वसूली करने की प्रक्रिया किसी भी प्रकार से बाधित नहीं होनी चाहिए।

संधारित होगी ऑफ लाइन पत्रावली

अपेक्स बैंक की ओर जारी आदेशानुसार, अधिकतम साख सीमा स्वीकृति के लिए पूर्व की भांति ऑफ लाइन पत्रावली कृषकवार बैंक एवं समिति स्तर पर संधारित की जाएगी । वही, अधिकतम साख सीमाओं की स्वीकृति ऑनलाइन प्रणाली में किये जाने के लिए टीसीएस की मानक प्रक्रिया अपनाई जाएगी । जिसमें यदि कृषक पूर्ववर्ती अधिकतम साख सीमा को यथावत रखना चाहता है, तो ऑनलाइन प्रक्रिया में उसे बायोमेट्रिक प्रणाली से आधार आधारित अभिप्रमाणन माध्यम से प्रमाणित करना होगा, साथ ही, अधिकतम साख सीमा को संशोधित करने का विकल्प टीसीएस में उपलब्ध करावा गया है। जिसके माध्यम से साख सीमा में संशोधन किया जाएगा एवं अधिकतम साख सीमा यथावन चाहने वाले अथवा परिवर्तित करने वाले दोनों ही श्रेणी के प्रत्येक कृषक के द्वारा भूमि रिकार्ड, केवाईसी आदि के संबंध में नवीनतम दस्तावेज प्रस्तुत करने होगे, जिनका परीक्षण सम्बन्धित पैक्स व्यवस्थापक द्वारा किया जाएगा ।

प्रबंध जब गलत तो जल संकट होगा ही!

सारा संकट पानी के प्रबंधन की आयातित तकनीकि अपनाने के कारण हुआ है। वरना भारत का पारंपरिक ज्ञान जल संग्रह के बारे में इतना वैज्ञानिक था कि यहां पानी का कोई संकट ही नहीं था। पारंपरिक ज्ञान के चलते अपने जल से हम स्वस्थ रहते थे। हमारी फसल और पशु सब स्वस्थ थे। पौराणिक ग्रंथ 'हरित संहिता' में 36 तरह के जल का वर्णन आता है। जिसमें वर्षा के जल को पीने के लिए सर्वोत्तम बताया गया है और जमीन के भीतर के जल को सबसे निकृष्ट यानि 36 के अंक में इसका स्थान 35वां आता है। पिछले कुछ दिनों से बेंगलुरु का भीषण पेयजल संकट अंतरराष्ट्रीय सुर्खियोंमें है। कर्नाटक के सिद्धारमैया ने बाकायदा कहा है कि बेंगलुरु को हर दिन 500 मिलियन लीटर पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है, जो शहर की दैनिक कुल मांग का लगभग पांचवां हिस्सा है। सीएम ने कहा कि बेंगलुरु के लिए अतिरिक्त आपूर्ति की व्यवस्था की जा रही है। हालाँकि, पानी की कमी केवल बेंगलुरु तक ही सीमित नहीं है, और न ही यह केवल पीने के पानी की समस्या है। संपूर्ण कर्नाटक राज्य, साथ ही तेलंगाना और महाराष्ट्र के निकटवर्ती क्षेत्र भी पानी की कमी का सामना कर रहे हैं। इसका अधिकांश संबंध पिछले एक वर्ष में इस क्षेत्र में सामान्य से कम वर्षा और इस क्षेत्र में भूमिगत जलभृतों की प्रकृति से है। जल संसाधन के संरक्षण एवं प्रबंधन पर आजादी के बाद अरबों-खरबों रूपया खर्च किया जा चुका है। उसके बावजूद हालत ये है कि भारत के सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र चेरापूंजी (मेघालय) तक में पीने के पानी का संकट है। कभी श्रीनगर (कश्मीर) बाढ़ से तबाह होता है, कभी मुंबई और गुजरात के शहर और बिहार-बंगाल का तो कहना ही क्या। हर मानसून में वहां बरसात का पानी भारी तबाही मचाता है। दरअसल, सारा संकट पानी के प्रबंधन की आयातित तकनीकि अपनाने के कारण हुआ है। वरना भारत का पारंपरिक ज्ञान जल संग्रह के बारे में इतना वैज्ञानिक था कि यहां पानी का कोई संकट ही नहीं था। पारंपरिक ज्ञान के चलते अपने जल से हम स्वस्थ रहते थे। हमारी फसल और पशु सब स्वस्थ थे। पौराणिक ग्रंथ 'हरित संहिता' में 36 तरह के जल का वर्णन आता है। जिसमें वर्षा के जल को पीने के लिए सर्वोत्तम बताया गया है और जमीन के भीतर के जल को सबसे निकृष्ट यानि 36 के अंक में इसका स्थान 35वां आता है। 36वें स्थान पर दरिया का जल बताया गया है। दुर्भाग्य देखिए कि आज लगभग पूरा भारत जमीन के अंदर से ही पानी खींचकर पानी पी रहा है। जिसके अनेकों नुकसान सामने आ रहे हैं। पहला तो इस पानी में लोराइड की मात्रा तय सीमा से कहीं ज्यादा होती है, जो अनेक रोगों का कारण बनती है। इससे खेतों की उर्वरता घटती जा रही है और खेत की जमीन क्षारीय होती जा रही है। लाखों हेक्टेयर जमीन हर वर्ष भूजल के अविवेकपूर्ण दोहन के कारण क्षारीय बनकर खेती के लिए अनुपयुक्त हो चुकी है। दूसरी तरफ इस बेदर्दी से पानी खींचने के कारण भूजल स्तर तेज़ी से नीचे घटता जा रहा है। हमारे बचपन में हैंडपंप को बिना बोरिंग किए कहीं भी गाढ़ दो, तो 10 फीट नीचे से पानी निकल आता था। आज सैकड़ों-हजारों फीट नीचे पानी चला गया। भविष्य में वो दिन भी आएगा, जब एक गिलास पानी 1000 रूपए का बिकेगा। क्योंकि रोका न गया, तो इस तरह तो भूजल स्तर हर वर्ष तेज़ी से गिरता चला जाएगा। आधुनिक वैज्ञानिक और नागरीय सुविधाओं के विशेषज्ञ यह दावा करते हैं कि केंद्रीयकृत टंकियों से पाइपों के जरिये भेजा गया पानी ही सबसे सुरक्षित होता है। पर यह दावा अपने आपमें जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा है। इसके कई प्रमाण मौजूद हैं। जबकि वर्षा का जल जब कुंडों, कुंओं, पोखरों, दरियाओं और नदियों में आता था, तो वह सबसे ज्यादा शुद्ध होता था। साथ ही इन सबके भर जाने से भूजल स्तर ऊंचा बना रहता था। जमीन में नमी रहती थी। उससे प्राकृतिक रूप में फल, फूल, सब्जी और अनाज भरपूर मात्रा में और उच्चकोटि के पैदा होते थे। पर बोरवेल लगाकर भूजल के पाश्चिक दोहन ने यह सारी व्यवस्थाएं नष्ट कर दी है। पोखर और कुंड सूख गए, क्योंकि उनके जल संग्रह क्षेत्रों पर भवन निर्माण कर लिए गए है। वृक्ष काट दिए गए। जिससे बादलों का बनना कम हो गया। नदियों और दरियाओं में औद्योगिक व रासायनिक कचरा व सीवर लाइन का गंदा पानी बिना रोकटोक हर शहर में खुलेआम डाला जा रहा है। जिससे ये नदियां मृत हो चुकी हैं। इसलिए देश में लगातार जलसंकट बढ़ता जा रहा है। जल का यह संकट आधुनिक विकास के कारण पूरी पृथ्वी पर फैल चुका है। वैसे तो हमारी पृथ्वी का 70 फीसदी हिस्सा जल से भरा है। पर इसका 97.3 फीसदी जल खारा है। मीठा जल कुल 2.7 फीसदी है। जिसमें से केवल 22.5 फीसदी जमीन पर है, शेष धुव्रीय क्षेत्रों में। इस उपलब्ध जल का 60 फीसदी खेत और कारखानों में खप जाता है, शेष हमारे उपयोग में आता है यानि दुनिया में उपलब्ध 2.7 फीसदी मीठे जल का भी केवल एक फीसदी हमारे लिए उपलब्ध है और उसका भी संचय और प्रबंधन अक्ल से न करके हम उसका भारी दोहन, दुरूपयोग कर रहे हैं और उसे प्रदूषित कर रहे हैं। अनुमान लगाया जा सकता है कि हम अपने लिए कितनी बड़ी खाई खोद रहे हैं। जल संचय और संरक्षण को लेकर आधुनिक विकास मॉडल के विपरीत जाकर वैदिक संस्कृति के अनुरूप नीति बनानी पड़ेगी। तभी हमारा जल, जंगल, जमीन बच पाएगा। वरना तो ऐसी भयावह स्थिति आने वाली है, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती।

शहर छोड़ गांवों की ओर पलायन की बढ़ रही प्रवृत्ति

> गांवों में जीवन की रतार धीमी होती है। वहां का वातावरण शांत होता है। इससे लोगों को तनाव कम होता है। गांवों में लोग एक-दूसरे के करीब रहते हैं। वे एक-दूसरे की मदद करते हैं। इससे लोगों को सामाजिक सुरक्षा मिलती है। शहरों में वाहनों के शोरगुल और भीड़भाड़ से भी लोग परेशान हो रहे हैं। कुछ लोग अपने शहरी जीवन से ऊब चुके हैं। वे अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं और एक सरल और शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं।

एक समय था जब लोग गांवों से शहरों की ओर भागते थे। नौकरी, शिक्षा और सुविधाओं की तलाश में लोग गांवों को छोड़कर शहर चले जाते थे, लेकिन आजकल यह सिलसिला उल्टा हो गया है। अब लोग शहरों से गांवों की ओर जाने लगे हैं। हालांकि आज भी इसकी तुलना में गांवों से शहरों की ओर पलायन का अनुपात काफी अधिक है। वैसे तो भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत की अधिकांश जनता शहरों की अपेक्षा गांवों में अधिक बसती है, लेकिन पिछले कुछ दशकों में तीव्र गति से बढ़ते शहरीकरण के कारण ग्रामीण क्षेत्रों से लोगों का बड़ी संख्या में पलायन हुआ है। लेकिन हाल के वर्षों में, एक नई प्रवृत्ति उभरी है, जिसे रिवर्स माइग्रेशन के रूप में जाना जाता है। इस प्रवृत्ति में शहरों से लोग अपने मूल गांवों की ओर वापस लौट रहे हैं। रिवर्स माइग्रेशन का अर्थ है कि किसी व्यक्ति या समूह का अपने मूल स्थान पर वापस लौटना। सामान्य शब्दों में, रिवर्स माइग्रेशन से तात्पर्य महानगरों और शहरों से गांवों एवं कस्बों की ओर होने वाले पलायन से है। रिवर्स माइग्रेशन एक नई प्रवृत्ति है, जो भारत सहित कई देशों में देखी जा रही है। शहर से गांव की ओर पलायन की प्रवृत्ति बढ़ने के कई कारण हो सकते हैं। इनमें आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय तथा व्यक्तिगत कारण शामिल हैं। इसका एक आर्थिक कारण यह है कि महानगरों और शहरों में रहने की लागत बढ़ती जा रही है। शहरों में रहने के लिए उच्च किराए, भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल जैसे खर्चों को पूरा करना मुश्किल हो रहा है। इसका सामाजिक कारण यह है कि शहरों में रहने के कारण लोगों को अपने परिवार और दोस्तों से दूर रहना पड़ता है, जिससे उन्हें अकेलापन और अलगाव महसूस होता है। शहरों में जीवन की रफ्तार तेज होने के कारण लोगों को अधिक तनाव में रहना पड़ता है। लोगों को काम, घर और परिवार के लिए कई तरह की जिम्मेदारियों का बोझ उठाना पड़ता है। इससे लोग तनावग्रस्त हो जाते हैं। गांवों में जीवन की रफ्तार धीमी होती है और लोग एक-दूसरे के करीब रहते हैं। इससे लोगों को तनाव कम होता है। इसके अलावा शहरों में प्रदूषण और अन्य पर्यावरणीय समस्याएं अधिक हैं। शहरों में तेजी से बढ़ते प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग के कारण लोग स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण की तलाश में गांवों की ओर पलायन कर रहे हैं। शहरों में वाहनों और कारखानों के धुएं और अन्य प्रदूषणकारी पदार्थों से वायु और जल प्रदूषित हो रहा है। इससे लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है और कई तरह की बीमारियां होती हैं। इसीलिए लोग ऐसी जगहों में जाकर रहना चाहते हैं, जहां प्रदूषण कम हो। गांवों में शहरों की तुलना में प्रदूषण का स्तर कम होता है और वातावरण अधिक शुद्ध होता है। इससे लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। गांवों में जीवन की रफ्तार धीमी होती है। वहां का वातावरण शांत होता है। इससे लोगों को तनाव कम होता है। गांवों में लोग एक-दूसरे के करीब रहते हैं। वे एक-दूसरे की मदद करते हैं। इससे लोगों को सामाजिक सुरक्षा मिलती है। शहरों में वाहनों के शोरगुल और भीड़भाड़ से भी लोग परेशान हो रहे हैं। कुछ लोग अपने शहरी जीवन से ऊब चुके हैं। वे अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं और एक सरल और शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं। गांवों में प्राकृतिक सुंदरता देखने को मिलती है। इससे लोगों को शांति और आनंद मिलता है। पहले गांवों में सुविधाओं का अभाव था। लेकिन आजकल गांवों में भी कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं, जैसे कि बिजली, पानी, सड़कें, स्कूल, अस्पताल आदि। इससे लोग गांवों में रहने के लिए आकर्षित होते हैं। गांवों में रहने के कई लाभ हैं। कृषि क्षेत्र में अपार संभावनाओं के कारण भी लोग गांवों की ओर पलायन कर रहे हैं। गांवों में कृषि भूमि अपेक्षाकृत सस्ती होती है, जिससे व्यावसायिक कृषि करना आसान हो जाता है। इसके अलावा, सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में सब्सिडी और अन्य प्रोत्साहन भी प्रदान किए जा रहे हैं, जो किसानों को आकर्षित कर रहे हैं। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना होने से लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। साथ ही पशुपालन, मत्स्य पालन, पर्यटन आदि क्षेत्रों में भी बेहतर अवसर उपलब्ध होने की वजह से लोग शहरों से वापस गांवों की ओर लौट रहे हैं। भारत में रिवर्स माइग्रेशन एक बढ़ती हुई प्रवृत्ति है। 2020 में कोविड-19 महामारी के कारण कई प्रवासी श्रमिकों को अपने मूल स्थान पर वापस लौटना पड़ा। कोरोना महामारी के बाद लोगों में ऐसी जगहों पर जाकर रहने का ट्रेंड देखने को मिला है, जहां का वातावरण शुद्ध है और यह सब वर्क फ्रॉम होम जैसे विकल्पों की उपलब्धता के कारण संभव हो सका। वायु प्रदूषण की वजह से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़ी संख्या में पलायन के उदाहरण देखने को मिले हैं। यही कारण है कि समाज के अमीर वर्ग के लोग भी अब गांवों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। वे गांवों में जमीन खरीद रहे हैं, फार्म हाउस बनवा रहे हैं और खेती कर रहे हैं। वैसे तो शहरों जैसी सुविधाएं गांवों में उपलब्ध नहीं होतीं, लेकिन आजकल लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति अधिक सचेत हो रहे हैं। ऑर्गेनिक खाद्य पदार्थों और मोटे अनाजों का चलन फिर बढ़ रहा है।

-रंजना मिश्रा
(ये लेखक के अपने विचार हैं)

देश के पहले चुनाव में एक मतदाता पर 60 पैसे हुए थे खर्च

रोचंग प्रसंग

अब तक हुए चुनावों में सबसे कम खर्चीला था 1957 का लोकसभा चुनाव, प्रति मतदाता 30 पैसे हुए थे खर्च

संजय सिंह । पहले लोकसभा चुनाव में निर्वाचन आयोग ने प्रति वोटर 60 पैसे खर्च किए थे। 2004 में यह बढ़कर 12 रुपये और 2009 में 17 रुपये प्रति वोटर जा पहुंचा। 2014 के चुनाव में भी खर्च में वृद्धि देखी गई। इस चुनाव में प्रति मतदाता चुनावी खर्च बढ़कर 46 रुपये हो गया। हैरानी की बात तो यह है कि 2019 के चुनाव में 72 रुपये प्रति मतदाता खर्च आया। सबसे कम खर्चीला चुनाव वर्ष 1957 का है। उस समय प्रति मतदाता 30 पैसे खर्च किए गए थे। हालांकि, 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में यह खर्च और बढ़ सकता है। लोकतंत्र के महापर्व में जैसे-जैसे मतदाताओं की आस्था बढ़ती गई, वैसे-वैसे लोकसभा सीटों की संख्या भी बढ़ती गई। इस कारण चुनावी खर्च में भी इजाफा हुआ है। सबसे अधिक चुनावी खर्च 2019 के आम चुनाव में हुआ था। यह चुनाव कुल 75 दिनों तक चला था। इस चुनाव में 60 हजार करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। प्रत्याशियों की भी खर्च की सीमा 70 लाख से बढ़ाकर 95 लाख कर दी गई है। 2024 के चुनाव में अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। प्रत्याशी और प्रशासनिक तंत्र का चुनावी खर्च शुरू हो गया है। देश का पहला चुनाव 1951-52 में हुआ था। तब के चुनाव में मात्र 10.5 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे।

2014 के आम चुनाव में यह खर्च बढ़कर 3870.3 करोड़ तक पहुंच गया। उस दौरान मतदाताओं की संख्या भी बढ़कर 17.5 करोड़ से 91.2 करोड़ हो गई। 1957 के चुनाव को यदि अपवाद माना जाए तो हर चुनाव में खर्च का आंकड़ा बढ़ता चला गया। पहले चुनाव बैलेट पेपर पर हुआ करता था। उम्मीदवार चुनाव प्रचार के लिए टमटम, बैलगाड़ी, साइकिल या रिक्शे का इस्तेमाल किया करते थे। 2004 के चुनाव में ईवीएम का आगमन हुआ। चुनाव प्रचार के तौर-तरीके भी बदल गए। अब सड़कों पर चुनाव प्रचार में जीप या मोटरकार दौड़ने लगी। एक आंकड़े के अनुसार 2019-20 में बजट में ईवीएम खरीद और मेंटेनेंस के लिए 25 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। 2023-24 के बजट में इसे बढ़ाकर 1891.8 करोड़ कर दिया गया। चुनावी जानकारों का कहना है कि चुनावी खर्च बढ़ने की दो वजहें हैं। लोकतंत्र के महापर्व को लेकर लोगों में जागरूकता आई है। प्रशासनिक स्तर पर भी मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कई तरह के अभियान चलाए गए हैं।

एक नजर में आंकड़ा

लोकसभा चुनाव	कुल खर्च (करोड़ में)	कुल मतदाता (करोड़ में)
1951-52	10.5	17.32
1957	5.9	19.37
1962	7.3	21.64
1967	10.8	25.02
1971	11.6	27.42
1977	23	32.12
1980	54.8	36.62
1984-85	81.5	40.03
1989	154.2	49.89
1991-92	359.8	51.15
1996	597.3	59.26
1998	666.2	60.59
1999	947.7	61.95
2004	1016.1	67.15
2009	1114.4	71.7
2014	3870.3	83.4

जरूरी है छोटे और सीमांत किसानों को सशक्त बनाना

जीवंत कृषि परंपराओं वाला देश भारत एक विरोधाभास से जूझ रहा है. संयुक्त राष्ट्र के खाद्य व कृषि संगठन (एफएओ) के अनुसार, 2023 में देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन 311 मिलियन टन तक पहुंच गया था, लेकिन इसकी वर्तमान भंडारण क्षमता 145 मिलियन टन ही है. एक अनुमान के अनुसार, वार्षिक फसल कटाई के बाद देश के खाद्यान्न का 10 से 15 प्रतिशत बर्बाद हो जाता है, जो ज्यादातर अपर्याप्त भंडारण सुविधाओं और अकुशल वितरण नेटवर्क के कारण होता है. यह स्थिति तत्काल और अभिनव समाधान की मांग करती है. प्रधानमंत्री ने कुछ दिनों पूर्व ही देश में खाद्यान्न भंडारण क्षमता की कमी दूर करने के लिए 'सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना' को मंजूरी दी है, जिसे देश के विभिन्न राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया जा रहा है. बड़े पैमाने पर अनाज भंडारण योजना लाभकारी होते हुए भी विशेषकर सीमांत और लघु किसानों की जरूरतों को सीधे तौर पर संबोधित नहीं कर सकती है.

कृषि जनगणना (2010-11) के अनुसार, भारत में 81.9 प्रतिशत सीमांत किसान हैं, जिनके पास दो हेक्टेयर से भी कम भूमि है. यह सीमित भूमि स्वामित्व कम उपज मात्रा की ओर इशारा करती है. इतनी छोटी मात्रा के लिए बड़ी भंडारण सुविधाएं किफायती नहीं हो सकती हैं. इन सीमांत किसानों के पास लंबे समय तक अपना अनाज भंडारित करने के लिए वित्तीय संसाधनों की कमी होती है. इनमें से कई सीमांत किसान बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी फसल बेचने से होने वाली तत्काल आय पर निर्भर हैं. बेहतर कीमत के लिए उपज को रोके रखना उनके लिए विकल्प नहीं हो सकता. सीमांत किसानों और अच्छी तरह विकसित कृषि बाजारों के बीच भौगोलिक दूरी भंडारण सुविधाओं तक पहुंच की चुनौती को बढ़ा देती है. अधिकांश सीमांत किसान अच्छी तरह से विकसित मंडियों (कृषि बाजारों) या खरीद केंद्रों से दूर रहते हैं. वहां तक माल पहुंचाने की परिवहन लागत बेहतर कीमतों के लिए अनाज भंडारण के संभावित लाभों से अधिक हो सकती है. इस प्रकार, अनाज भंडारण के लिए 'वन फिट फॉर ऑल' दृष्टिकोण अनजाने में उन लोगों को बाहर कर सकता है जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है. सीमांत किसानों को सशक्त बनाने और अनाज भंडारण योजना में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अधिक सूक्ष्म तथा विकेंद्रीकृत दृष्टिकोण की आवश्यकता है. केवल बड़ी भंडारण सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय, सरकार को उत्पादन स्थल के समीप छोटे व ग्रामीण स्तर की भंडारण सुविधा नेटवर्क की स्थापना के संभावनाओं का पता लगाना चाहिए. ये विकेंद्रीकृत भंडारण इकाइयां परिवहन लागत को कम करने के साथ सीमांत किसानों को भंडारण विकल्पों तक आसान पहुंच भी प्रदान करेंगी.

इसके अतिरिक्त, सहकारी समितियां और किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) भंडारण सुविधाओं के सामूहिक उपयोग को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं. संसाधनों को एकत्रित और लागत साझा कर किसान बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्थाओं से लाभ उठा सकते हैं और भंडारण में वित्तीय बाधाओं को दूर कर सकते हैं. ऐसी पहलों के सफल कार्यान्वयन के लिए सरकार से मौद्रिक सहायता आवश्यक है. सीमांत किसानों के लिए विशेष रूप से लक्षित सब्सिडी या ब्याज मुक्त ऋण के रूप में सरकारी सहायता, उनकी भागीदारी को और प्रोत्साहित कर सकती है. भंडारण के लिए बुनियादी ढांचे का मजबूत होना समीकरण का आधा हिस्सा है. सीमांत किसानों के लिए बाजार पहुंच को मजबूत करने और उसमें सुधार के प्रयास भी होने चाहिए. असली ताकत भंडारण, बाजार पहुंच और किसान सशक्तिकरण पहल के बीच तालमेल बिठाने में निहित है. ग्राम स्तरीय भंडारण इकाइयों का नेटवर्क बनाने,

सहकारी समितियों व एफपीओ का उपयोग करने और बुनियादी ढांचे के विकास एवं मोबाइल खरीद इकाइयों के माध्यम से बाजार पहुंच में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित करके अधिक समावेशी तथा लचीला कृषि पारिस्थितिकी तंत्र विकसित किया जा सकता है.

विकेंद्रीकृत भंडारण नेटवर्क को लागू करने के लिए सावधानीपूर्वक योजना और कार्यान्वयन की आवश्यकता होती है. रसद, रखरखाव और भ्रष्टाचार जैसे संभावित मुद्दों को पहले से ही संबोधित करने की आवश्यकता है. बेहतर भंडारण सुविधाएं फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम कर सकती हैं. सीमांत किसानों की बढ़ी हुई आय पूरे ग्रामीण समुदायों का उत्थान कर सकती है. विकेंद्रीकृत भंडारण नेटवर्क संकट के समय बफर स्टॉक प्रदान कर सकता है, खाद्य कीमतों को स्थिर कर सकता है और मूल्य वृद्धि को रोक सकता है.

भारत की अनाज भंडारण योजना देश के कृषि परिदृश्य को बदलने की अपार क्षमता रखती है, लेकिन इसमें सीमांत किसानों का समावेश सुनिश्चित करने के लिए लक्षित हस्तक्षेप भी होना चाहिए. जब ऐसा होगा, तभी हम भारत के लिए अधिक न्यायसंगत और टिकाऊ कृषि भविष्य की परिकल्पना को साकार कर सकेंगे.

केसी त्यागी / बिशन नेहवाल
(ये लेखक के निजी विचार हैं.)

बदले समय के साथ लोहे, स्टील व प्लास्टिक की टंकियों ने बनाई जगह

किसानों के घरों से गायब हुई अनाज भंडारण की 'कोठियां'

एक समय था जब पश्चिम राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में पक्के मकानों के अभाव एवं खेतों व ढाणियों में रहने वाले किसानों के यहां उनके खेत मे पैदा होने वाले अनाज को लंबे समय तक सुरक्षित रखने एवं अनाज को इसमें पड़ने वाले घुन व इल्ली आदि से बचाने के लिए अनूठी तरह की हाथ से बनाई हुई ''धान की कोठियां'' अब बदलते दौर में किसानों के घरों से गायब ही हो गई है। साथ ही इस आधुनिक युग में हर घर में धान की इन कोठियों की जगह लोहे, स्टील व प्लास्टिक की बनी हुई बड़ी-बड़ी टंकियों व ड्रमों ने ले ली है। यहां तक कि वर्तमान पीढ़ी के युवा एवं बच्चे तो इन कोठियों से एकदम अनजान से हो गए हैं और इन्होंने तो अपने घरों में ऐसी धान की कोठियां देखी तक ही नहीं है। बावजूद इसके कुछेक जगहों पर आज भी लोग एवं खासकर किसान अपने घरों में साल भर के लिए अनाज का भंडारण इन्हीं पारंपरिक कोठियों में कर रहे हैं। गौरतलब है कि करीब 25-30 साल पहले तक किसान अपने खेतों में होने वाली उपज को साल-साल भर या जरूरत के समय इससे भी अधिक समय के लिए सुरक्षित तरीके से सहेजकर रखने के लिए हाथों से बनाई हुई पारंपरिक धान की कोठियों का ही उपयोग करते थे और इन्हीं में किसान अपनी उपज व साल भर भोजन के लिए अनाज का भंडारण करके रखते थे। इन हस्त निर्मित कोठियों की यह खासियत थी, कि गर्मी के मौसम में गर्मी व लू की गर्म लपटों से अनाज का बचाव होता था। साथ ही इन देसी कोठियों के आगे बड़े-बड़े अनाज के स्टोरेज भी फेल होते थे। इनमें किसानों द्वारा बाजरा, मूंग, मोठ, ग्वार आदि अनाज भरने के बाद एक-एक, दो-दी साल तक अनाज न तो खराब होता था और न ही अनाज में कीड़े, लट, घुन या इल्लियों आदि का ही प्रकोप हो पाता था। लेकिन अब बदलते समय के साथ ग्रामीण इलाकों में इन धान की कोठियों का अस्तित्व ही समाप्त हो गया है और आजकल कमोबेश किसी भी घर में इस प्रकार की कोठियां नजर ही नहीं आती है। खेड़ापा के किसान रामपाल प्रजापत के अनुसार कई घरों में तो बड़ी-बड़ी कोठियां बनाई जाती थीं और एक-एक कोठी में करीब 15 से 20 क्विंटल तक अनाज का भंडारण किया जा सकता था। ग्रामीण इलाकों में किसान अपने अनाज को तो इन कोठियों में सुरक्षित रख लेते थे। साथ ही इन कोठियों को भी लंबे समय तक टिके रखने एवं बारिश व गर्मी आदि मौसमी प्रकोप से बचाव के लिए इन कोठियों के ऊपर के हिस्से पर बाजरे की डोकी व खींप आदि का इस्तेमाल करते हुए पतली रस्सियों से बीनकर या बांधकर झोंपड़ीनुमा कलाकृतियां भी बना दी जाती थीं। साथ ही इन झोंपड़ियों को गांव-ढाणी में आसपास के लोग मिलकर बनाते थे और इससे उन लोगों में आपसी अपणाइत व भाईचारा भी बना रहता था।

महंगाई का हाथी काबू में, सस्ते कर्ज के लिए अभी इंतजार

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

नई दिल्ली। आम ग्राहकों को होम लोन, ऑटो लोन व दूसरे बैंकिंग कर्ज के सस्ता होने के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। शुक्रवार को मौद्रिक नीति की समीक्षा करने वाली समिति ने इन दरों को प्रभावित करने वाले रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया है। आरबीआइ गवर्नर डॉ. शक्तिकांत दास ने हालांकि लंबे समय के बाद यह कहा है कि महंगाई रूपी हाथी अब काबू में है।

उन्होंने चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए खुदरा महंगाई दर (सीपीआइ) के सालाना लक्ष्य को घटा कर 4.5 फीसद पर कर दिया है। जबकि देश की अर्थव्यवस्था में 7 फीसद की वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। ऐसा हुआ तो भारत लगातार चौथे वर्ष सात फीसद से ज्यादा की आर्थिक वृद्धि दर हासिल करेगा। उम्मीद की जा सकती है कि सब कुछ सामान्य रहा तो इस साल के अंतिम महीनों में रेपो रेट को घटा कर आम जनता व उद्योग जगत के लिए सस्ते कर्ज का रास्ता साफ हो सकता है। एमपीसी की बैठक हर दो महीनों पर होती है और यह इस समिति की सातवीं बैठक है जिसमें रेपो रेट को उसके मौजूद दर 6.5 फीसद पर ही बना कर रखने का फैसला किया है। पिछले एक वर्ष से खुदरा महंगाई की दर तकरीबन छह फीसद या इससे नीचे ही हैं। आरबीआइ इसे चार फीसद पर लाने की कोशिश में है। दो वर्ष पहले जब महंगाई की दर छह फीसद को पार कर गई तो इसे काबू में लाने के लिए आरबीआइ ने कर्ज को महंगा करने का फैसला किया और कुछ ही महीनों में रेपो रेट (वह दर जिस पर बैंक अतिरिक्त फंड आरबीआइ के पास रख कर कर्ज लेते हैं और इसका इस्तेमाल अल्पकालिक अवधि वाले कर्ज के वितरण में करते हैं) को चार फीसद से बढ़ा कर 6.5 फीसद कर दिया गया था। इसकी वजह से होम लोन, ऑटो लोन आदि की दरों में भी दो फीसद तक महंगे हो गये थे। अब महंगाई नीचे आ रही है तो रेपो रेट के कम

6.5 प्रतिशत हैं अभी रेपो रेट
32.2 लाख करोड़ का कर्ज बांटा हैं बैंकों ने 2023-24 में

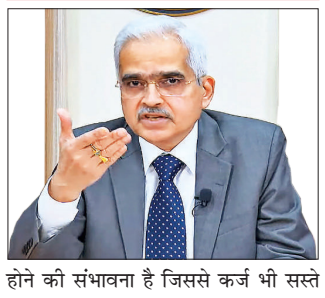

होने की संभावना है जिससे कर्ज भी सस्ते होंगे। आरबीआइ के गवर्नर डॉ. शक्तिकांत दास ने बताया कि एमपीसी के छह सदस्य रेपो रेट को स्थिर रखने के पक्ष में थे। सभी छह सदस्य इस पक्ष में हैं कि विकास के लिए जरूरी फंड की उपलब्धता बनी रहे लेकिन ब्याज दरों को घटाने का फैसला क्रमवार तरीके से हो। महंगाई की तुलना कमरे में बैठे हाथी से करते हुए उन्होंने कहा कि अभी हाथी जंगल में है और उसे वहीं पर लंबे समय तक रखने की कोशिश करनी है। हालांकि उन्होंने वैश्विक हालात को देखते हुए यह भी स्पष्ट कर दिया कि महंगाई पर काबू पाने का काम अभी पूरा नहीं हुआ है क्योंकि सीपीआइ अभी चार फीसद से ज्यादा बनी हुई है। खास तौर पर खाद्य उत्पादों की महंगाई दर के फिर से उभरने का खतरा बना ही हुआ है। लेकिन अच्छी बात यह है कि देश की इकोनमी मजबूत है और ऐसे में आरबीआइ के पास महंगाई को काबू में करने का ज्यादा विकल्प मौजूद है। मौद्रिक नीति समीक्षा करते हुए आरबीआइ गवर्नर डॉ. दास ने देश की आर्थिक स्थिति की भी गुलाबी तस्वीर पेश की है। उन्होंने वर्ष 2024-25 के दौरान देश की आर्थिक विकास दर के 7 फीसद रहने का अनुमान लगाया है। वर्ष 2023-24 में आर्थिक विकास दर के 7.6 फीसद रहने का आंकड़ा जारी किया गया है जो पूर्व के सभी अनुमानों से बेहतर है। विश्व बैंक, आइएमएफ समेत सभी वैश्विक एजेंसियां व रेटिंग कंपनियां भारत की ग्रोथ रेट अनुमान को पहले से बढ़ा रही हैं। आरबीआइ गवर्नर ने जो डाटा पेश किया है उससे यह भी पता चलता है कि इकोनमी को रफ्तार देने वाले सारे क्षेत्र में सकारात्मक स्थिति है। मैन्युफैक्चरिंग में सुधार है, सेवा क्षेत्र में तेजी है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी मांग रफ्तार पकड़ चुकी है जिसका काफी असर होगा। सीमेंट और इस्पात उत्पादन में वृद्धि और पूंजीगत उत्पादों के आयात में वृद्धि बता रहा है कि उत्पादन का एक चक्र स्थापित हो चुका है। वर्ष 2023-24 में बैंकों ने कुल 31.2 लाख करोड़ रुपये का कर्ज दिया है। डॉ. दास ने कहा है कि, अभी तक कृषि सेक्टर व ग्रामीण इकोनमी की गतिविधियां बेहतर रहने की संभावना है। रबी की फसल अच्छी हुई है और खरीफ की स्थिति भी बेहतर रहेगी क्योंकि मानसून के सामान्य रहने की बात कही गई है। महंगाई की दर में कमी का भी फायदा होगा क्योंकि दूसरे सेक्टरों में इससे मांग बढ़ेगी। चिंता सिर्फ वैश्विक घटनाओं को लेकर है जो अनिश्चित हैं।

आधार में बदलाव हुआ आसान, मोबाइल से कर सकते हैं अपडेट

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर । आधार कार्ड में नाम या पता अपडेट करना अब बहुत आसान हो गया है। कोई भी व्यक्ति घर बैठे आसानी से अपने मोबाइल पर ही यह काम कर सकता है। इसके लिए आपके पास बस एक स्मार्ट फोन और आधार नंबर के साथ संबंधित मोबाइल नंबर होना चाहिए।

वर्तमान में आधार कार्ड बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज बन गया है। चाहे सरकारी काम हो या निजी काम। हर जगह पहचान और पते के लिए आधार कार्ड दिखाना जरूरी हो गया है। आजकल, चाहे वह बैंक की नौकरी हो या किसी सरकारी योजना का लाभ लेना हो, आधार कार्ड बनाना आवश्यक है। इसके अभाव में आपको कठिनाइयां हो सकती हैं। हमें आधार की सभी जानकारी सही तरीके से देनी है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि गलती से नाम गलत हो जाता है या शादी के बाद महिलाओं का उपनाम बदल जाता है। ऐसी स्थिति में हमें आधार को अपडेट कराना चाहिए। ज्ञात रहे कुछ समय पहले तक हमें आधार से संबंधित सभी कार्यों के लिए साइबर कैफे या अपने शहर के आधार केंद्र पर जाना पड़ता था। लेकिन, अब हम अपने आधार को घर से ही अपडेट कर सकते हैं। वह भी आसानी से। यह सर्विस पुन; शुरू की गई है।

एसबीआइ ने आरटीआइ के तहत चुनावी बांड की जानकारी देने से किया इनकार

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

नई दिल्ली। एसबीआइ ने सूचना का अधिकार यानी आरटीआइ एक्ट के तहत निर्वाचन आयोग को दिए गए चुनावी बांड के विवरण की जानकारी देने से इनकार कर दिया है, भले ही रिकार्ड आयोग की वेबसाइट पर सार्वजनिक हो चुका है। बैंक ने कहा कि यह वादे के अनुसार संभालकर रखी गई व्यक्तिगत जानकारी है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बांड योजना को असंवैधानिक और स्पष्ट रूप से मनमाना करार देते इसे रद कर दिया था। साथ ही 15 फरवरी को एसबीआइ को निर्देश दिया था कि वह 12 अप्रैल, 2019 से खरीदे

बैंक ने कहा कि संभालकर रखी गई व्यक्तिगत जानकारी

गए चुनावी बांड का पूरा विवरण निर्वाचन आयोग को सौंपे। कोर्ट ने आयोग को संबंधित विवरण 13 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करने का भी निर्देश दिया था। आयोग ने 14 मार्च को अपनी वेबसाइट पर एसबीआइ की ओर से प्रस्तुत डाटा प्रकाशित किया था, जिसमें बांड खरीदने वाले दानदाताओं और इन्हें भुनाने वाले राजनीतिक दलों का विवरण शामिल था। आरटीआइ कार्यकर्ता कमोडोर लोकेश बत्रा ने 13 मार्च को एसबीआइ से संपर्क कर डिजिटल फार्म में चुनावी बांड का वैसा ही पूरा डाटा मांगा था जैसा कि उसने कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग को उपलब्ध कराया था। बत्रा ने कहा कि यह बड़ी अजीब बात है कि एसबीआइ ने उस जानकारी को उपलब्ध कराने से इन्कार कर दिया जोकि निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर पहले से ही मौजूद है। साल्वे की फीस के सवाल पर उन्होंने कहा कि बैंक ने उस जानकारी को देने से मना कर दिया, जिसमें करदाताओं का पैसा भी शामिल है। केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी तथा एसबीआइ के उप महाप्रबंधक द्वारा दिए जवाब में कहा गया कि आपके द्वारा मांगी गई सूचना में खरीदारों और राजनीतिक पार्टियों से जुड़ी जानकारी मांगी गई है और इसे एक जिम्मेदारी के तहत सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। आरटीआइ कानून की धारा 8(1)(ई) और (जे) के तहत ऐसी जानकारी देने से छूट प्राप्त है। इनमें पहली धारा पूरी जिम्मेदारी की क्षमता में रखे गए रिकार्ड से संबंधित है तो दूसरी व्यक्तिगत जानकारी उपलब्ध कराने से रोकती है। बत्रा ने चुनावी बांड के रिकार्ड की जानकारी देने के खिलाफ एसबीआइ की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे को बैंक की ओर से दी गई फीस की रकम का भी ब्योरा मांगा था, हालांकि यह कहते हुए संबंधित जानकारी देने से इन्कार कर दिया गया कि यह जानकारी व्यक्तिगत प्रकृति की है।

हरजी ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड हरजी
तहसील -आहोर , जिला - जालोर

क्रमांक - एस.पी.01 -:: विज्ञप्ति ::- दिनांक - 14.04.2024

हरजी ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. हरजी के सदस्यों की अधिकतम साख सीमा (MCL) पांच वर्ष की स्वीकृत की गई थी, शीर्ष बैंक से प्रदत्त निर्देशानुसार जिन कृषकों की MCL अप्रैल 2019 से मार्च 2020 के मध्य स्वीकृत की गई हैं, उनका नवीनीकरण 15 अप्रैल से 30 जून 2024 तक किया जा रहा हैं । इसके लिए साख सीमा नवीनीकरण का आवेदन पत्र समिति से प्राप्त कर उसमें KYC संबंधित दस्तावेज यथा जमाबंदी, आधार कार्ड, मोबाइल नम्बर, परिचय पत्र, पेन कार्ड, बैंक खाता पासबुक की फोटोकॉपी इत्यादि संलग्न करके समिति पर जमा करवाएं, वही, इस विज्ञप्ति के जरिए अवधिपार ऋणी सदस्यों को अंतिम रुप से सूचित किया जाता हैं कि अपने ऋण खाते में बकाया अवधिपार ऋण राशि जमा करवाकर साख सीमा नवीनीकरण में अपना नाम इन्द्राज करा लेवें। अन्यथा अवधिपार राशि का भुगतान नहीं करने पर आपके विरुद्ध राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 99-100 में कार्यवाही की जाएगी, जिसके लिए समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी । सूचित रहें ।

करणसिंह जैतावत
अध्यक्ष हरजी जीएसएस

हनुमानसिंह राजावत
व्यवस्थापक हरजी जीएसएस

नरेगा में 100 दिन का रोजगार देने वाली ग्राम पंचायत दूदाबेरा प्रथम

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जोधपुर । जिला ग्रामीण में पंचायत समिति बालेसर में वित्तीय वर्ष 2023-24 में नरेगा योजना के अंतर्गत मजदूरों को 100 दिन का रोजगार देने वाली ग्राम पंचायत दूदाबेरा प्रथम स्थान पर रही। ग्राम पंचायत दूदाबेरा के सरपंच खेमाराम जोया ने बताया कि जोधपुर जिला परिषद की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023 -24 में नरेगा योजना के अंतर्गत मजदूरों को 100 दिवस का रोजगार देने के मामले में बालेसर पंचायत समिति जिले में तीसरे स्थान पर रही। बालेसर पंचायत समिति क्षेत्र में 30 ग्राम पंचायतों में से ग्राम पंचायत दूदाबेरा में 408 मजदूरों को 100 दिवस का रोजगार देकर प्रथम स्थान पर रही है। वहीं 317 मजदूरों को 100 दिवस का रोजगार देने वाली ग्राम पंचायत जिन-जिनियाला कला दूसरे स्थान पर रही।

उन्होंने बताया कि इसी तरह 313 मजदूरों को 100 दिवस का रोजगार देने वाली ग्राम पंचायत जुडिया तीसरे स्थान पर रही। जबकि ग्राम पंचायत चिड़वाई में एक भी मजदूर को 100 दिवस का रोजगार नहीं मिलने पर शून्य स्थान मिला हैं। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल 30 ग्राम पंचायत में 2930 मजदूरों ने 100 दिवस का विभिन्न विकास कार्यों में रोजगार प्राप्त किया है।

अंता और बारां में बारिश, बाड़मेर रहा प्रदेश में सबसे गर्म

अन्नदाता को फसल बचाने की चिंता

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर . चुनावी सरगर्मियों के बीच शनिवार से प्रदेश में पूरी तरह से विक्षोभ सक्रिय रहेगा। इससे पहले पश्चिमी राजस्थान में चिलचिलाती धूप वाली भीषण गर्मी महसूस की गई। वहीं दक्षिणी राजस्थान में झमाझम बारिश हुई। अंता बारां में 15, भीलवाड़ा में 2, चित्तौड़गढ़ में 1.1, डूंगरपुर में 3.5, कोटा में 0.4, सीकर में 7, उदयपुर में 0.2 एमएम बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के मुताबिक 13 जिलों में ओलावृष्टि के साथ-साथ तेज आंधी तूफान के लिए आरेंज और यलो चेतावनी जारी की गई है। जयपुर, बीकानेर, चूरू, अजमेर, जैसलमेर, जालौर, झुंझुनू, सीकर, भरतपुर, अलवर, नागौर, गंगानगर और जोधपुर समेत हनुमानगढ़ में ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है। तीव्र मेघगर्जन, कहीं-कहीं तेज अंधड़ 50-60 किमी की संभावना है।

खेती; धान का रकबा करीब 11 फीसदी बढ़ा

दलहन-तिलहन और धान की बुआई में हुआ इजाफा

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

नई दिल्ली. समर सीजन में दलहन, तिलहन फसलों के साथ ही धान के रकबे में बढ़ोतरी हुई है। दालों की बढ़ती कीमतों के बीच दलहन के रकबा में इजाफा होना लोगों के लिए अच्छी खबर है। चालू सीजन में धान का रकबा करीब 11 प्रतिशत बढ़कर 29.44 लाख हैक्टेयर दर्ज किया गया। देश में 5 अप्रेल तक 6.52 लाख हैक्टेयर में

चालू सीजन में धान का रकबा करीब 11 प्रतिशत बढ़कर 29.44 लाख

मूंग की बुआई हो चुकी है। पिछले साल समान अवधि में यह आंकड़ा 6.33 लाख हैक्टेयर था। यानी मूंग का रकबा 3 प्रतिशत बढ़ा है। इस सीजन उड़द के रकबे में 5.6 प्रतिशत इजाफा हुआ है और 2.23 लाख हैक्टेयर जमीन में उड़द बोई जा चुकी है, जबकि पिछले साल यह आंकड़ा 2.11 लाख हैक्टेयर था।

पावटा ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड पावटा
तहसील -आहोर , जिला - जालोर

क्रमांक - एस.पी.01 -:: विज्ञप्ति ::- दिनांक - 14.04.2024

पावटा ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. पावटा के सदस्यों की अधिकत्तम साख सीमा (MCL) पांच वर्ष की स्वीकृत की गई थी, शीर्ष बैंक से प्रदत्त निर्देशानुसार जिन कृषकों की MCL अप्रैल 2019 से मार्च 2020 के मध्य स्वीकृत की गई हैं, उनका नवीनीकरण 15 अप्रैल से 30 जून 2024 तक किया जा रहा हैं । इसके लिए साख सीमा नवीनीकरण का आवेदन पत्र समिति से प्राप्त कर उसमें KYC संबंधित दस्तावेज यथा जमाबंदी, आधार कार्ड, मोबाइल नम्बर, परिचय पत्र, पेन कार्ड, बैंक खाता पासबुक की फोटोकॉपी इत्यादि संलग्न करके समिति पर जमा करवाएं, वही, इस विज्ञप्ति के जरिए अवधिपार ऋणी सदस्यों को अंतिम रुप से सूचित किया जाता हैं कि अपने ऋण खाते में बकाया अवधिपार ऋण राशि जमा करवाकर साख सीमा नवीनीकरण में अपना नाम इन्द्राज करा लेवें। अन्यथा अवधिपार राशि का भुगतान नहीं करने पर आपके विरुद्ध राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 99-100 में कार्यवाही की जाएगी, जिसके लिए समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी । सूचित रहें ।

नरेन्द्रसिंह बालोत
अध्यक्ष पावटा जीएसएस

भागीरथसिंह राजावत
व्यवस्थापक पावटा जीएसएस

15 जिलों में 20-20 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की सामग्री जब्त

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर,। राजस्थान में मार्च और अप्रैल महीनों के दौरान विभिन्न सतर्कता एवं निगरानी एजेंसियों ने 760 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की अवैध शराब, नशीली दवाएं, नकद राशि आदि जब्त की है। लोकसभा आम चुनाव-2024 के क्रम में चुनाव को धन-बल, नशे तथा मुफ्त वस्तुओं के प्रलोभन के जरिए प्रभावित होने से रोकने के लिए अवैध वस्तुओं के परिवहन और भण्डारण पर यह धरपकड़ की जा रही है। बीते दो माह में सर्वाधिक 44 करोड़ रुपये से अधिक की जब्ती जोधपुर जिले में हुई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री प्रवीण गुप्ता ने बताया कि 16 मार्च को प्रदेश में आदर्श आचार संहिता के प्रभावी होने के बाद से कुल 662 करोड़ रुपये मूल्य की अवैध नकद राशि, नशीली दवाएं (ड्रग्स), शराब, कीमती धातुएं तथा मुफ्त वितरण की जाने वाली वस्तुएं (फ्रीबीज) आदि जब्त की गई हैं। इस अवधि में अलग-अलग एनफोर्समेंट एजेंसियों ने 15 जिलों में 20-20 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की वस्तुओं की जब्ती की है।

देवड़ा ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड देवड़ा
तहसील - पितलवाना, जिला - , सांचौर

क्रमांक - एस.पी.01 -:: विज्ञप्ति ::- दिनांक - 14.04.2024

देवड़ा ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. देवड़ा के सदस्यों की अधिकत्तम साख सीमा (MCL) पांच वर्ष की स्वीकृत की गई थी, शीर्ष बैंक से प्रदत्त निर्देशानुसार जिन कृषकों की MCL अप्रैल 2019 से मार्च 2020 के मध्य स्वीकृत की गई हैं, उनका नवीनीकरण 15 अप्रैल से 30 जून 2024 तक किया जा रहा हैं । इसके लिए साख सीमा नवीनीकरण का आवेदन पत्र समिति से प्राप्त कर उसमें KYC संबंधित दस्तावेज यथा जमाबंदी, आधार कार्ड, मोबाइल नम्बर, परिचय पत्र, पेन कार्ड, बैंक खाता पासबुक की फोटोकॉपी इत्यादि संलग्न करके समिति पर जमा करवाएं, वही, इस विज्ञप्ति के जरिए अवधिपार ऋणी सदस्यों को अंतिम रुप से सूचित किया जाता हैं कि अपने ऋण खाते में बकाया अवधिपार ऋण राशि जमा करवाकर साख सीमा नवीनीकरण में अपना नाम इन्द्राज करा लेवें। अन्यथा अवधिपार राशि का भुगतान नहीं करने पर आपके विरुद्ध राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 99-100 में कार्यवाही की जाएगी, जिसके लिए समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी । सूचित रहें ।

रुगनाथसिंह
अध्यक्ष देवड़ा जीएसएस

पूनमाराम देवासी
व्यवस्थापक देवड़ा जीएसएस

अरणाय ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड अरणाय
तहसील - सांचौर , जिला - सांचौर

क्रमांक - एस.पी.01 -:: विज्ञप्ति ::- दिनांक - 14.04.2024

अरणाय ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. अरणाय के सदस्यों की अधिकत्तम साख सीमा (MCL) पांच वर्ष की स्वीकृत की गई थी, शीर्ष बैंक से प्रदत्त निर्देशानुसार जिन कृषकों की MCL अप्रैल 2019 से मार्च 2020 के मध्य स्वीकृत की गई हैं, उनका नवीनीकरण 15 अप्रैल से 30 जून 2024 तक किया जा रहा हैं । इसके लिए साख सीमा नवीनीकरण का आवेदन पत्र समिति से प्राप्त कर उसमें KYC संबंधित दस्तावेज यथा जमाबंदी, आधार कार्ड, मोबाइल नम्बर, परिचय पत्र, पेन कार्ड, बैंक खाता पासबुक की फोटोकॉपी इत्यादि संलग्न करके समिति पर जमा करवाएं, वही, इस विज्ञप्ति के जरिए अवधिपार ऋणी सदस्यों को अंतिम रुप से सूचित किया जाता हैं कि अपने ऋण खाते में बकाया अवधिपार ऋण राशि जमा करवाकर साख सीमा नवीनीकरण में अपना नाम इन्द्राज करा लेवें। अन्यथा अवधिपार राशि का भुगतान नहीं करने पर आपके विरुद्ध राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 99-100 में कार्यवाही की जाएगी, जिसके लिए समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी । सूचित रहें ।

गुमानाराम विश्नोई
अध्यक्ष अरणाय जीएसएस

मांगीलाल विश्नोई
व्यवस्थापक अरणाय जीएसएस

पीएफ योजना से जुड़ सकते हैं लाखों नए कर्मचारी

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

नई दिल्ली ; सरकार सामाजिक सुरक्षा कवरेज को बढ़ाने के लिए सरकारी स्तर कुछ बड़ा चल रहा है। खबर मिली है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत वेतन सीमा को अब 15,000 से बढ़ाकर कम से कम 21,000 किया जा सकता है। ऐसा करना सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्राप्त करने की दिशा में एक मजबूत कदम होगा। पीएफ के लिए वेतन सीमा को बढ़ाने का प्रस्ताव पिछले कई वर्षों से ठंडे बस्ते में पड़ा था। अब इस प्रस्ताव पर दोबारा विचार किया जा रहा है। इस बारे में जानकारी रखने वाले एक अधिकारी ने बताया च्हम सभी विकल्पों का मूल्यांकन कर रहे हैं और इस संबंध में निर्णय नई सरकार द्वारा लिया जा सकता है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के मुताबिक सरकार का मानना है कि भारतीय उद्योग जगत की मजबूत बैलेंस शीट वेतन सीमा में बढ़ोतरी के कारण उद्यमों पर पड़ने वाले अतिरिक्त वित्तीय बोझ को कम करने में मदद करेगी। अधिकारी के अनुसार, वेतन सीमा बढ़ाने से सरकार और निजी क्षेत्र दोनों पर भारी वित्तीय प्रभाव पड़ेगा। उक्त अधिकारी ने बताया कि यदि सरकार अधिक से अधिक श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना चाहती है तो उसे उस दिशा में आगे बढ़ना होगा। अनुमान है कि बढ़ी हुई वेतन सीमा से लाखों श्रमिकों को लाभ होगा क्योंकि अधिकांश राज्यों में न्यूनतम मजदूरी 18,000 और 25,000 के बीच है। अभी जो वेतन सीमा है, उस वजह से वे किसी भी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा से वंचित हो जाते हैं।

2014 में हुआ था बदलाव ; ईपीएफओ के तहत वेतन सीमा में आखिरी बार साल 2014 में बदलाव हुआ था। तब इसे 6,500 से बढ़ाकर 15,000 कर दिया गया था। हालांकि, इससे उलट कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) में भी वेतन की सीमा इससे ज्यादा है। वहां साल 2017 से ही 21,000 की उच्च वेतन सीमा है और सरकार के भीतर इस बात पर सहमति है कि दो सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत वेतन सीमा को अलाइन किया जाना चाहिए। उल्लेखनीय है कि ईपीएफओ और ईएसआईसी दोनों श्रम और रोजगार मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं।

हिन्दी पाक्षिक
मारवाड़ का मित्र
विज्ञापन एवं समाचारों के लिए संपर्क करें
Website
Www.Marwadkamitra.in
Mo. 9602473302,
7976323829
Mail ID - marwadkamitra@gmail.com

छोड़ो अपने सारे काम सबसे पहले करों मतदान
19 एवं 26 अप्रैल को मतदान अवश्य करें।
मतदान समय : प्रातः 7:00 बजे से सायं 6:00 बजे तक
मारवाड़ का मित्र समाचार पत्र द्वारा जनहित में प्रचारित

नॉमिनी की जानकारी देना भी हुआ अनिवार्य

अब सिर्फ ई-फॉर्मेट में मिलेगी नई बीमा पॉलिसी

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

नई दिल्ली। लाइफ इंश्योरेंस परिवार के आर्थिक भविष्य को सुरक्षित करने का एक महत्वपूर्ण उपाय है। इंश्योरेंस रेगुलेटर इरडा पॉलिसीधारकों के हितों की रक्षा के लिए नियमों में बदलाव करता रहता है। इस बार भी वित्त वर्ष 2024-25 की शुरुआत के साथ इंश्योरेंस पॉलिसी से जुड़े कुछ नियम बदल रहे हैं। आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं।

पॉलिसीबीमाधारकों के हितों की रक्षा के लिए इंश्योरेंस रेगुलेटर इरडा लगातार नियमों में बदलाव कर रहा है। इरडा के नए नियमों के अनुसार, सभी बीमा कंपनियां एक अप्रैल 2024 से नई बीमा पॉलिसी केवल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में ही जारी करेंगी। बीमा कंपनी प्रत्येक पॉलिसीधारक के लिए एक डिजिटल खाता खुलवाएगी। बीमा पॉलिसी इसी खाते में जारी की

जाएगी। हालांकि, पॉलिसीधारकों के पास फिजिकल फॉर्मेट (कागजी दस्तावेज) में पॉलिसी लेने का विकल्प भी रहेगा। इसके लिए उन्हें अलग से आवेदन करना होगा। पॉलिसीधारक पुरानी पॉलिसी को भी डिजिटल फॉर्मेट में बदलवा सकेंगे। डिजिटल बीमा खाते में पॉलिसीधारक की सभी पॉलिसी दिखाई देंगी। इस कदम से परिपक्वता के समय कागजी दस्तावेज के फटने या खोने से होने वाली समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा।

इरडा के नए नियमों के अनुसार, एक अप्रैल से कंपनियां नॉमिनी की जानकारी के बिना नई जीवन बीमा पॉलिसी जारी नहीं कर सकेंगी। पॉलिसी जारी होने के बाद कंपनियों को नॉमिनी में बदलाव का विकल्प उपलब्ध कराना होगा। इसके लिए कंपनियां अधिकतम 100 रुपये तक का शुल्क ले सकेंगी। इसके अलावा, अब बीमा कंपनियां सभी प्रकार के रिफंड केवल पॉलिसीधारक के बैंक खाते में दे सकेंगी। इसके लिए बीमा कंपनियों को पॉलिसी की बिक्री के समय में बैंक खाते की जानकारी लेना अनिवार्य होगा।

घर बैठे मारवाड़ का मित्र मंगाने के लिए भर कर भेजें

सदस्यता फॉर्म

मारवाड़ का मित्र हिंदी पाक्षिक मारवाड़ आंचल का प्रमुख पाक्षिक समाचार पत्र हैं । समाचार पत्र में कृषि पशुपालन, सहकारिता, ग्रामीण विकास से जुड़ी अहम खबरों का प्रकाशन कर पाठकों तक अखबार की प्रति प्रेषण कर रहा है। मारवाड़ का मित्र समय-समय पर भिन्न-भिन्न विषयों पर विशेषांक का प्रकाशन भी करता है तथा अपने ग्राहकों को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के भेजता है । अतः मुझे / हमें भी अंग्राकित पते पर मारवाड़ का मित्र समाचार पत्र की प्रति डाक द्वारा भेजें ।

सदस्यता राशि

☐ एक वर्ष रु. 350/- ☐ दो वर्ष रु. 700/- ☐ तीन वर्ष रु. 1050/- ☐ छह वर्ष रु. 2100/-

डाक से नियमित रूप से इस पते पर मारवाड़ का मित्र भेजने के लिए DD / मनीआर्डर मारवाड़ का मित्र के नाम भेज रहा हूं ।

नाम / संस्था का नाम.....
ग्राम..... पोस्ट.....
तहसील..... जिला.....
फोन..... पिन कोड.....
राशि (रुपए) ..... बैंक का नाम.....

अगर आप किसी कारण से भुगतान नहीं कर पा रहे हैं तो सीधे हमारे बैंक अकाउंट में पैसे भेजें. अगर आप सीधे बैंक ट्रांसफर कर रहे हैं तो Marwadkamitra@gmail.com पर अपना पूरा नाम, फोन नंबर, भुगतान की राशि और Transaction id हमें मेल करें ताकि हम आपका व्यक्तिगत तौर पर आभार प्रकट कर सकें.

Bank Account Details :
Name: Marwad ka Mitra
A/C No.: 11134027554
IFSC Code: RMGB0000134

Google / Phonepay
9602473302

सदस्यता हेतु लिखें ➤ मारवाड़ का मित्र हिंदी पाक्षिक समाचार पत्र
संपादकीय/व्यवस्थापक कार्यालय - वैष्णव फार्म परावा,
तहसील-चितलवाना जिला-जालोर 343041
Mo. 9602473302, Visit Us:Marwadkamitra.in

मारवाड़ का मित्र
हिन्दी पाक्षिक समाचार पत्र
सांचौर, सोमवार, 15 अप्रैल 2024
4
RNI Reg. No - RAJHIN/2003/10136
Post Reg No. R.J./SRO/9657/2023-25

सीसीबी चौहटन की शाखा पर चक्कर काटने को मजबूर किसान

सहकारी समितियों के कार्यालयों पर हरदम लटकता ताला

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

बाड़मेर । गांव के लोगों को सहकारिता विभाग की योजनाओं के लिए चौहटन केन्द्रीय सहकारी बैंक शाखा या जिला मुख्यालय का चक्कर न लगाना पड़े, इसके लिए विभाग की ओर से सहकारी समितियों पर गोदाम और कार्यालयों का निर्माण कराया है। प्रति गोदाम भवन पर 10 से 12 लाख रुपये खर्च किए गए हैं। सहकारी समितियों में व्यवस्थापक एवं सहायक व्यवस्थापक भी नियुक्त किए गए हैं, लेकिन इसका लाभ सहकारी समिति से जुड़े आम लोगों को नहीं मिल रहा है। हालत यह है कि केन्द्रीय सहकारी बैंक की चौहटन शाखा के अंतर्गत संचालित अधिकतर सहकारी समितियों पर ताले लटक रहे हैं। व्यवस्थापक अपने साथ झोले में लैपटॉप और अन्य कागजात रखते हैं और जरूरत पड़ने पर किसी जगह पर भी ऋण वितरण और ऋण वसूली कर देते है। हालात यह हैं कि सहकारिता विभाग की ओर अल्पकालीन फसली ऋण, कस्टम हायरिंग सेंटर, सीएससी सेवाएं चलती तो हैं लेकिन सहकारी समितियों के मुख्यालयों पर ताला लटकता रहता है। इस शाखा कार्यक्षेत्र की धनाऊ, तारातरा, चौहटन सहकारी समितियों को छोड़कर अन्य सभी सहकारी समितियों का संचालन बैंक शाखा के इर्द-गिर्द किराए के कमरों में समिति का मुख्यालय बनाकर मनमाफिक सोसायटी को संचालित किया जा रहा है। स्थिति यह है कि व्यवस्थापक लैपटॉप और कागजात अपने साथ झोले में लिए घूमते हैं या शाखा के पास कमरें में बैठ कर काम करते हैं। एक तरह से सहकारी साख आंदोलन की सबसे छोटी एवं मजबूत इकाई सहकारी समितियां के गोदाम तालों में कैद है, और केन्द्रीय सहकारी बैंक शाखा के आस-पास का क्षेत्र व्यवस्थापकों का अड्डा बन कर रह गया है। ऐसी स्थिति न केवल सीमावर्ती चौहटन की बल्कि धौरीमन्ना और सेड़वा शाखा की 80 फीसदी सहकारी सोसायटियों की है।

23 हजार किसान को 150 करोड़ का ऋण वितरण

केन्द्रीय सहकारी बैंक की चौहटन शाखा अंतर्गत संचालित 30 ग्राम सेवा सहकारी समितियों द्वारा लगभग 23 हजार से अधिक किसानों को 150 करोड़ का अल्पकालीन फसली सहकारी ऋण मुहैया कराया जाता है। इन समितियों से जुड़े किसानों को ऋण लेने और चुकारा करने के लिए चौहटन शाखा तक भागदौड़ करनी पड़ती है। किसानों का कहना हैं कि धनाऊ, तारातरा, चौहटन सहकारी समिति को छोड़कर अन्य सहकारी समितियों शायद कभी-कभार ही खुलती हैं,

पैक्स कंप्यूटराईजेशन के पश्चात हालात सुधरे की आस

जैसा कि सहकारिता के एक्सपर्ट का मानना हैं कि केंद्र सरकार की ओर से देशभर की ग्राम सेवा सहकारी समितियों का डिजिटलीकरण किया जा रहा है। जिससे ताले में बंद रहने वाली सहकारी समितियों के भी हालात सुधरने की आंस दिखाई दे रही है।

शिकायतों पर नहीं होती कार्यवाही ?

क्षेत्र के किसानों का आरोप हैं कि जब भी उनके द्वारा अपने ऋण खाते और गत वर्षा में हुई ऋण माफी के बारे में सूचना मांगने पर जानकारी नहीं मिलती है। और जब इस बारे में उच्च अधिकारियों को शिकायत की जाती है। तो दबंग व्यवस्थापकों की टौली द्वारा कहा जाता हैं कि अरे, भाइयां बाड़मेर सीसीबी में जब तक ई.ओ. पूनिया जी हैं, तब तक हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। हालांकि, गत दिनों अधिषासी अधिकारी ने एक कार्यालय आदेश जारी कर सहकारी समितियों का मुख्यालय कार्यालय दिवस में समयबद्ध खोलने के निर्देश भी दिए थे ।

गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना में एक लाख रुपए तक के ब्याजमुक्त लोन का था प्रावधान

गोपालकों को नहीं मिल रहा ब्याजमुक्त लोन का फायदा, जिम्मेदारों की ढिलाई में अटकी राहत

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

सांचौर . प्रदेश में गोपालन को बढ़ावा देने वाली गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना जिम्मेदारों की ढिलाई में उलझ गई है। योजना के तहत पात्र गोपालकों ने आवेदन तो कर दिए लेकिन योजना की क्रियान्विति को लेकर दिशा निर्देश नहीं आए हैं। जिससे गोपालकों को न तो ब्याजमुक्त लोन का फायदा नहीं मिल रहा है और न ही गोपालकों को योजना के प्रति रुझान। रही सही कसर लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के कारण हो गई है। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत प्रदेश के हर जिले में करीब दस हजार किसानों को लोन देने के लिए बजट घोषणा हुई थी।

यह है योजना

योजना में राजस्थान का निवासी व दो साल के पशुपालन में अनुभव के आधार पर संबंधित को गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना का पात्र माना गया है। यह लोन हर साल सहकारिता विभाग की तर्ज पर हर साल साख सीमा के आधार पर बढ़ेगा। योजना में पात्र व्यक्ति को गो आवास के लिए शेड निर्माण, खेळी, चारा मशीन जैसे उपकरणों के लिए एक लाख रुपए तक बिना ब्याज के लोन का प्रावधान है।

डेयरी व केसीसी की तर्ज पर सुविधा

डेयरी व केसीसी लोन की तर्ज पर शुरू की गई इस योजना के पात्र गोपालकों को साहूकारों को ब्याज चुकाना पड़ रहा है। जबकि योजना की घोषणा के समय इस लोन को डेयरी व केसीसी की तर्ज पर देने का प्रावधान रखा गया था। जिस प्रकार किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए किसानों को बहुत ही कम ब्याज पर लोन मिलता है। समय पर ऋण चुकाने पर किसान का ब्याज में छूट दी जाती है। ठीक उसी प्रकार गोपाल क्रेडिट कार्ड से पशुपालकों को लाभ होगा।

समर कंटिजेंसी कार्यों का बेहतर प्रबंधन एवं मॉनिटरिंग भी होगी सुनिश्चित

प्रदेश में पेयजल की समस्या के तत्काल निस्तारण के लिए शिकायत निवारण हेतु व्हाट्सअप नंबर जारी

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर, । प्रदेश में गर्मी के मौसम में पेयजल की सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा पेयजल संबंधी समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए राज्य एवं जिला स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित करने की साथ-साथ whatsapp नंबर भी जारी किए गए हैं। यह कन्ट्रोल रूम राज्य स्तर पर 24x7 एवं जिला स्तर पर प्रतिदिन प्रात: 6:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक काम करेंगे। यहां न केवल आमजन पेयजल से संबंधित समस्याएं दर्ज करवा सकेंगे, बल्कि इनके माध्यम से समर कंटिजेंसी कार्यों का बेहतर प्रबंधन एवं मॉनिटरिंग भी की जाएगी। विभाग द्वारा जिलों में पेयजल संबंधी समस्याएं दर्ज करवाने हेतु कन्ट्रोल रूम स्थापित करने के साथ-साथ व्हाट्सएप नंबर भी जारी किए हैं, जिस पर मैसेज के जरिये आमजन अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के शासन सचिव डॉ समित शर्मा ने बताया कि प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु के दौरान आमजन को पेयजल संबंधी किसी भी तरह की समस्या के निवारण हेतु राज्य एवं जिला स्तर पर प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति की गई है। यह अधिकारी पेयजल की समस्याओं से संबंधी शिकायतों का निवारण सुनिश्चित करने के साथ-साथ समर कंटीन्जेसी कार्यों की मॉनिटरिंग का कार्य भी करेंगे। उन्होंने बताया कि राज्य स्तर पर कन्ट्रोल रूम नम्बर 0141-222-2585 पर शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है।

इसी प्रकार सभी पचास जिलों के लिए अलग-अलग नम्बर जारी किये गए हैं।

पेयजल की शिकायत के निवारण हेतु जिला स्तरीय व्हाट्सएप ग्रुप का गठन

शासन सचिव ने बताया कि जिला स्तर पर पेयजल संबंधी शिकायतों के निवारण हेतु जारी किए गए व्हाट्सएप नंबर पर शिकायतकर्ता को अपना नाम, मोबाइल नंबर एवं लोकेशन भेजनी होगी जिससे संबंधित अधिकारी वहां पहुंचकर शिकायत का तुरंत निवारण कर सकें। इसके अतिरिक्त पेयजल समस्याओं की बेहतर मॉनिटरिंग तथा त्वरित निस्तारण के लिए प्रदेश के सभी 50 जिलों में व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए गए हैं, जिसमें उस जिले के जनप्रतिनिधि सहित गणमान्य नागरिकों को शामिल किया गया है।

अंतिम 72 घंटे की एसओपी की सुनिश्चित हो अनुपालना - गुप्ता

जयपुर, । मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री प्रवीण गुप्ता ने प्रथम चरण में मतदान वाले लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों से संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों को अपने-अपने क्षेत्र में मतदान से 72 घंटे पूर्व की एसओपी की अनुपालना सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रथम चरण के 12 लोकसभा क्षेत्रों में मतदान दिवस के संबंध में अब तक की गई तैयारी की समीक्षा भी की। श्री गुप्ता ने निर्देश दिए कि अंतिम 72 घंटे के दौरान निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करवाने के लिए एफएसटी और एसएसटी का सहयोग लें। उन्होंने वल्नरेबल और क्रिटिकल मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े उपाय करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि निर्वाचन आयोग ने आवश्यकतानुसार वेबकास्टिंग के लिए कुल मतदान केन्द्रों की संख्या के 50 प्रतिशत से अधिक के बराबर कैमरे लगाने की अनुमति प्रदान कर दी है। बेवकास्टिंग के लिये कैमरे आवश्यकतानुसार मतदान केंद्र के भीतर और बाहर भी लगाये जा सकेंगे। उन्होंने अंतिम 72 घंटे के दौरान अंतरराज्यीय बॉर्डर को सील करने के भी निर्देश दिए।

मतदाता 12 प्रकार के फोटोयुक्त वैकल्पिक पहचान पत्र दिखाकर कर सकेंगे मतदान

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जोधपुर, । लोकसभा चुनाव 2024 के लिये 26 अप्रेल को जोधपुर संसदीय क्षेत्र में होने वाले मतदान के लिये मतदाता भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचन फोटो पहचान पत्र दिखायेंगे। ऐसे मतदाता जो अपना मतदान फोटो पहचान पत्र खो जाने या किसी कारण से प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं उन्हें अपनी पहचान के लिये चुनाव आयोग द्वारा जारी मान्यता प्राप्त 12 वैकल्पिक फोटो दस्तावेज में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा। **यह 12 वैकल्पिक फोटो पहचान पत्र दिखाकर कर सकेंगे मतदान** ; जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) श्री गौरव अग्रवाल ने बताया कि मतदान के समय कोई मतदाता अपना फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाता है तो उसके स्थान पर उसे भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मान्यता प्राप्त 12 वैकल्पिक पहचान दस्तावेज में से किसी एक का उपयोग करना होगा। उन्होंने बताया कि इस 12 वैकल्पिक पहचान दस्तावेजों में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केन्द्र या राज्य सरकार या लोक उपक्रम या पि लक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किये गये सेवा पहचान पत्र, बैंकों या डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों या विधायकों या विधानपरिषद सदस्य को जारी किये गये पहचान और केन्द्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालय दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसेबिलिटी आई डी शामिल है। इनमें से कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत कर मतदाता मतदान कर सकेंगे।

दो छात्राओं को मिली एक-एक लाख रुपए की छात्रवृत्ति

रेवदर. महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में गणित वर्ग की दो छात्राओं गीता कुमारी पुत्री भलाराम देवासी एवं वसनी कुमारी पुत्री भगवाना राम कोली को एक-एक लाख रुपए इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार के तहत मिले। प्रधानाचार्य ओमजीलाल शर्मा ने बताया कि कक्षा 12 में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण छात्राओं का मेरिट के आधार पर चयन हुआ। जिसके फलस्वरुप इन्हें एक-एक लाख रुपए की छात्रवृत्ति प्राप्त हुई। जिससे बालिकाओं को उच्च अध्ययन में सहायता मिलेगी। गणित वर्ग की एक छात्रा रिंकल कुमारी को कुछ दिनों पहले ही 1,20,000 रुपए की छात्रवृत्ति इंस्पायर अवार्ड के तहत मिली थी।

34 कार्टन शराब बरामद, कार जब्त

सांचौर. *सांचौर पुलिस ने राजस्थान और पंजाब निर्मित अवैध शराब के 34 कार्टन जब्त कर वाहन को डिटेन किया। पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान संदिग्ध कार को रुकने का इशारा किया, लेकिन चालक ने कार नहीं रोकी। पुलिस ने कार का पीछा किया। जिस पर आरोपी कार को लाछीवाड़ में छोकर फरार हो गया। पुलिस ने मौके से राजस्थान निर्मित 14 कार्टन व पंजाब निर्मित 20 कार्टन अवैध शराब बरामद की। पुलिस मामले में जांच कर रही है।*

व्यय पर्यवेक्षक की उपस्थिति में ईवीएम, बीयू, वीवीपैट व माईक्रो ऑब्जर्वर का द्वितीय रेण्डमाईजेशन संपन्न

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जालोर। लोकसभा आम चुनाव-2024 के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त व्यय पर्यवेक्षक पारस मणि त्रिपाठी व जिला निर्वाचन अधिकारी पूजा पार्थ की उपस्थिति में कलक्ट्रेट सभागार में ईवीएम, बीयू, वीवीपैट एवं माईक्रो ऑब्जर्वर का द्वितीय रेण्डमाईजेशन सम्पन्न हुआ। द्वितीय रेण्डमाईजेशन के दौरान जालोर संसदीय क्षेत्र (18) में ईवीएम, बीयू, वीवीपैट को रेण्डमाईजेशन उपरांत बूथ आवंटित किया गया वही माईक्रो ऑब्जर्वर को रेण्डमाईजेशन के आधार पर विधानसभा आवंटित की गई। इस संबंध में सभी विधानसभा कार्मिकों की विधानसभावार पृथक-पृथक एक्टिव, रिजर्व व एक्स्ट्रा रिजर्व टीम का दो-दो बार ट्रायल कर यह सुनिश्चित किया गया कि सॉफ्टवेयर ठीक तरह से कार्मिकों का रेण्डम कर रहा हैं तथा इसके उपरांत उन्हें लॉक कर फाइनल आवंटन किया गया। इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी शिवचरण मीना, माउण्ट आबू के सहायक रिटर्निंग अधिकारी गौरव रविन्द्र सालुंखे, सहायक कलक्टर दिव्यांश सिंह, जालोर के सहायक रिटर्निंग अधिकारी प्रमोद सीरवी, सिरोही के सहायक रिटर्निंग अधिकारी अभिषेक चारण, सांचौर सहायक रिटर्निंग अधिकारी प्रमोद देव, आहोर सहायक रिटर्निंग अधिकारी शंकरलाल मीणा, रेवदर के सहायक रिटर्निंग अधिकारी सुबोध सिंह चारण, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी संजय रामदेव, डीओआईटी के संयुक्त निदेशक योगेश कुमार, जिला रसद अधिकारी आलोक जेरवार व अतिरिक्त सूचना विज्ञान अधिकारी लादेश शर्मा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

प्रदेश की 31 ट्रेजरी में पारित हो गए बिल

257 राज्य कर्मियों को 1.65 करोड़ रुपए का दोहरा भुगतान

अरविन्द कौशिक
Www.marwadkamitra.in

अजमेर. प्रदेश के कई जिलों के राज्य कर्मचारियों को मार्च माह के वेतन के दोहरे भुगतान का मामला सामने आया है। विभिन्न विभागों के 257 अधिकारियों-कर्मचारियों को 1 करोड़ 65 लाख रुपए का दोहरा भुगतान कर दिया गया। ऑनलाइन पारित वेतन बिलों की राशि सीधे संबंधित कर्मचारियों के बैंक खातों में जमा भी हो गई। औसतन 64 हजार रुपए प्रत्येक कर्मचारी को ज्यादा मिल गए, हालांकि वास्तव में संबंधित कार्मिक को उसके मासिक वेतन के बराबर ही डबल पेमेंट हुआ है। जिसका अधिकतम मासिक वेतन का आंकड़ा 1 लाख 53 हजार 912 रुपए है। प्रदेश के 31 कोषालयों में दोहरे भुगतान का मामला पता चला है। प्रदेश के सभी कोषाधिकारियों को संबंधित आहरण-वितरण अधिकारियों (डीडीओ) को अविलंब संबंधित कार्मिकों से वसूली कर निर्धारित बजट मद में माइनस ए सपेंडीचर के रूप में जमा कराने को कहा गया है। डीडीओ को संबंधित कार्मिक से राशि वसूलकर चालान के जरिए जमा कराकर चालान की प्रति संबंधित ट्रेजरी में प्रस्तुत करनी होगी। यह प्रक्रिया नहीं किए जाने तक ऐसे कर्मचारियों का आगामी वेतन ब्लॉक रहेगा।

मारवाड़ का मित्र हिन्दी पाक्षिक
विज्ञापन एवं समाचारों के लिए संपर्क करें
Website Www.Marwadkamitra.in Mo. 9602473302, 7976323829, Mail ID - marwadkamitra@gmail.com

जैसलमेर केंद्रीय सहकारी बैंक के एमडी समेत सात जनों को नोटिस

जीएसएस में 70 लाख का गबन ऋण माफी के पैसे की बंदरबांट

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जोधपुर. जैसलमेर स्थित कनाई ग्राम सेवा समिति में 70 लाख रुपए का गबन सामने आया है। इसमें केंद्रीय सहकारी बैंक जैसलमेर के तत्कालीन महाप्रबंधक सहित सात जनों को नोटिस जारी किए गए हैं। इनको सुनवाई के लिए 15 अप्रेल को जोधपुर सहकारी समिति के कार्यालय बुलाया गया है। सितम्बर 2020 में कनोई जीएसएस के मैनेजर नरेश प्रजापत ने सीसीबी की नॉन होम ब्रांच चांधण शाखा से चेक द्वारा 70 लाख रुपए नकद उठाए, लेकिन अपनी जीएसएस में जमा नहीं कराए। चांधण शाखा के तत्कालीन मैनेजर अश्विनी मोहन केवलिया और कैशियर विवेक सेन ने रिटायर कर्मचारी की आइडी का उपयोग करते हुए रुपए निकालकर दे दिए। जांच रिपोर्ट में सीसीबी जैसलमेर के तत्कालीन एमडी जगदीश सुथार की मिलीभगत बताई गई है। इस दौरान नरेश ढेडा जीएसएस का मैनेजर भी था। उसने मामला खुलने पर 70 लाख रुपए ढेडा जीएसएस से निकालकर कनोई में जमा करा दिए, लेकिन फिर भी पकड़ा गया। उल्लेखनीय है कि फरवरी 2024 में कनोई और डेढ़ा जीएसएस ने समिति के बैंक खातों में 8.05 करोड़ रुपए की ऋण माफी की संदिग्ध एंट्री कर दी थी। मामले का खुलासा होने पर सीसीबी जैसलमेर ने दोनों जीएसएस के बैंक खाते सीज कर दिए थे।

इन 7 को नोटिस

- *सीसीबी बैंक के तत्कालीन एमडी जगदीश सुथार*
- *बैंक की चांधण शाखा के मैनेजर अश्विन केवलिया*
- *कैशियर विवेक सेन*
- *कनोई जीएसएस के तत्कालीन मैनेजर नरेश प्रजापत*
- *वर्तमान मैनेजर लालाराम*
- *सीसीबी जैसलमेर के कार्मिक दिनेश रंगा*
- *बैंक के रिटायर्ड ऋण पर्यवेक्षक बलवंतराम*

ट्रांसफर पॉलिसी ; गाइडलाइन जारी, विभाग के पोर्टल पर आवेदन

हर साल फरवरी में कर सकेंगे आवेदन, अप्रेल तक तबादले

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर । राज्य सरकार के कार्मिक विभाग ने सभी विभागों में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों के तबादलों को लेकर बड़ा कदम उठाया है। अब राज्य में कार्मिकों के तबादले हर साल 30 अप्रेल से पहले कर दिए जाएंगे। सभी विभागों के प्रमुख शासन सचिवों, शासन सचिवों तथा विशिष्ट शासन सचिवों को उनके अधीनस्थ विभागों में प्रस्तावित स्थानांतरण नीति व दिशा निर्देश भेजे गए हैं। प्रशासनिक सुधार विभाग के शासन सचिव राजन विशाल नीति को मुख्यमंत्री से अनुमोदन कराने के लिए भेजेंगे। साथ ही इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल बनाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग को अवगत कराने के लिए कहा गया है। एक साल या इससे कम अवधि में सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिक का तबादला नहीं किया जाएगा। तबादला चाहने पर ही किया जा सकेगा। कार्मिक का तबादला करने पर वापस उसी स्थान पर कम से कम दो साल तक पदस्थापन नहीं होगा। सरकारी विभागों को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है। दो हजार से अधिक कार्मिकों वाले विभागों को ए श्रेणी में तथा दो हजार से कम कार्मिकों वाले विभागों को बी श्रेणी में रखा है। तबादलों के लिए प्रशासनिक आधार तीन साल या इससे अधिक समय से एक ही स्थान पर कार्यरत कार्मिकों पर लागू होगा। कार्मिकों के विरुद्ध गंभीर शिकायत, जांच में दोषी, अनुशासनात्मक कार्रवाई विचाराधीन हो, उसे केवल रिक्त पद ही लगाया जा सकेगा।

तबादला व्यवस्था में यह प्रावधान होंगे

- विभाग हर साल 1 से 30 जनवरी तक रिक्त पदों को पोर्टल पर प्रदर्शित करेंगे।
- इच्छुक कार्मिक पोर्टल पर 1 से 28 फरवरी तक आवेदन कर सकेंगे। आवेदन नहीं करने पर तबादले पर विचार नहीं होगा।
- आवेदन मिलने के बाद विभाग 1 से 31 मार्च तक काउंसलिंग के माध्यम से कार्यवाही करेगा।
- हर साल 30 अप्रेल तक तबादले के आदेश जारी कर दिए जाएंगे। इसके बाद तबादले नहीं होंगे।
- काउंसलिंग में वरीयता क्रम भी निर्धारित किया गया है। इसमें दिव्यांग को प्राथमिकता दी जाएगी।

इसके बाद क्रमश ; विधवा, परित्यक्ता, एकल महिला, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी, पति-पत्नी प्रकरण, असाध्य रोग से पीड़ित आवेदक, शहीद आश्रित सदस्य, दूरस्थ जिलों, डार्क जोन, हार्ड एरिया के कार्मिकों को रखा जाएगा। सबसे अंत में शेष रहे आवेदकों को उनकी पारिवारिक स्थितियों के आधार पर तबादले का मौका मिलेगा।

स्वत्वाधिकारी, स्वामी, प्रकाशक, संपादक एवं मुद्रक प्रकाश वैष्णव द्वारा वैष्णव कंप्यूटर्स प्रिन्टर्स, वैष्णव फार्म परावा 343041 जिला-सांचौर (राज.) से मुद्रित एवं सुभाष नगर सांचौर से प्रकाशित । संपादक । मो. 9602473302 । नोट : पीआरबी एक्ट के तहत खबर चयन के लिए उत्तरदायी । (तमाम विवादों का न्याय क्षेत्र सांचौर (राज.) होगा)

समाचार संकलन में यद्यपि पूर्ण विश्वसनीयता बरती जाती है तथापि तकनीकी त्रुटियां व अन्य किसी कारणवश समाचार प्रकाशन में त्रुटि होना संभावित है। इस प्रकार की त्रुटि के लिए प्रबन्धन पाक्षिक "मारवाड़ का मित्र" किसी भी प्रकार से जिमेदार नहीं होगा । समाचार पत्र के प्रकाशन की तिथि से एक माह के भीतर ही प्राप्त होने वाली प्रकाशन संबंधी शिकायत/आपत्ती पर विचार होगा एक माह बाद शिकायत आपत्ती पूर्णतया अस्वीकार अमान्य होगी। इस समाचार पत्र से संबंधित समस्त वाद-विवादों का न्यायिक क्षेत्र सांचौर (राज.) रहेगा ।